



ई-निविदा सूचना - धन प्रेषण के साथ पुलिस एस्कॉर्ट के लिए वाहन उपलब्ध कराना

भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली प्रेषण के साथ पुलिस एस्कॉर्ट को वाहन उपलब्ध कराने के लिए दो बोली प्रणाली (तकनीकी बोली और मूल्य बोली) के तहत ई-निविदा आमंत्रित करता है। संविदा की अवधि प्रारंभ में 07 माह और 15 दिन के लिए होगी, यानी 16 अगस्त, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन और आपसी करार पर अगले दो वर्ष के लिए (एक बार में केवल एक वर्ष के लिए) लिए बढ़ाया जा सकता है। ई-निविदा के साथ विस्तृत निविदा नोटिस और सामान्य निर्देश एमएसटीसी साइट <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/> और आरबीआई की वेबसाइट <https://www.rbi.org.in> पर "निविदा" मेनू के तहत उपलब्ध है।

- सभी इच्छुक निविदाकारों को ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एमएसटीसी पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा।
- निविदा कार्य की अनुमानित लागत लगभग ₹13.52 लाख प्रतिवर्ष है, हालाँकि वास्तविक राशि इससे भिन्न हो सकती है।
- ई-निविदा प्रक्रिया की समय-सारणी निम्नानुसार है:

क्र	ई-निविदा संख्या	आरबीआई/दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय/निर्गम/1/25-26/ईटी/121[पुलिस को वाहन उपलब्ध कराना]
ख	देखने के लिए एमएसटीसी वेबसाइट पर ई-निविदा की उपलब्धता	22-05-2025 को 11:00 बजे से
ग	आफलाइन बोली पूर्व बैठक (स्वैच्छिक)	13-06-2025 को 11:30 बजे
घ	ई-निविदा भरने हेतु प्रारम्भ तिथि	16-06-2025 को 11:00 बजे से
इ	ईएमडी भरने हेतु अंतिम तिथि तथा समय	26-06-2025 को दोपहर 12:00 बजे तक
च	ई-निविदा भरने हेतु अंतिम तिथि तथा समय	26-06-2025 को 14:00 बजे तक
छ	पार्ट-I (तकनीकी बोली) खोलने की तिथि	26-06-2025 को 15:00 बजे

5. ई-निविदा का भाग-II। उसी दिन या बैंक द्वारा सूचित बाद की किसी तारीख को केवल उन निविदाकर्ताओं का खोला जाएगा जिन्हें निविदा के भाग-I की जांच के बाद पात्र पाया जाएगा। बैंक, कोई भी कारण बताए बिना किसी भी या सभी ई-निविदाओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

नोट: सभी निविदाकारों को यह ध्यान रखना होगा कि भविष्य में इस ई-निविदा के संबंध में जारी किए गए कोई संशोधन / सुधार, केवल आरबीआई और एमएसटीसी की वेबसाइट पर अधिसूचित किये जाएंगे और इसकी कोई सूचना समाचार पत्र में अलग से प्रकाशित नहीं की जाएगी।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 22 मई, 2025

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली



**भाग-I (कार्य का दायरा और वाणिज्यिक शर्तें) भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
नई दिल्ली**

धन प्रेषण के साथ पुलिस एस्कॉर्ट हेतु वाहन उपलब्ध कराने के लिए ई-निविदा

विषयसूची

विवरण	पृष्ठ
निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)	3
निविदा की समय-सारणी (एसओटी)	4-6
ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश	7-12
खंड I - निविदा का प्रारूप	13
ज्ञापन	14-15
खंड II- ठेकेदारों के लिए सामान्य निर्देश और अनुबंध की विशेष शर्तें	16-39
खंड- III कार्य का दायरा	40-43
खंड IV निविदाकर्ता द्वारा भरा जाने वाला विवरण	44-47
खंड V करार की शर्तें	48-60
खंड VI-अनुलग्नक ग्राहक का प्रमाणपत्र	61-62
खंड – VII शपथपत्र	63
अनुसूची ए अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट	64-65
अनुसूची बी संगठनात्मक विवरण	66
अनुसूची सी पंजीकरण विवरण	67
अनुसूची डी ग्राहकों की सूची	68
अनुसूची ई बैंकर (बैंकरों) का विवरण	69
अनुसूची एफ वाहन विवरण	70
अनुसूची जी सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र	71
अनुसूची -आई- ई-भुगतान के लिए एनईएफटी विवरण और अग्रिम राशि जमा के विकल्प के रूप में बैंक गारंटी का प्रारूप	72-74
खंड II सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए बैंक गारंटी का प्रारूप	75-78
खंड III भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोलीदाता द्वारा प्रतिज्ञा/घोषणा/प्रमाण पत्र का प्रारूप	79-80
भाग- II (मूल्य बोली) नोट्स	81-85
तकनीकी विवरण: चेक लिस्ट (सामान्य शब्द)	86

भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, नई दिल्ली
निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)
(केवल ई-खरीद के माध्यम से)

भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली कार्यालय (जिसे आगे "बैंक" या "आरबीआई" कहा जाएगा), आवश्यकता के आधार पर किराए पर कार लेने के उद्देश्य से किराए पर कार देने वाली अत्यधिक प्रतिष्ठित और सक्षम एजेंसियों/कंपनियों से "धनप्रेषण के साथ पुलिस एस्कॉर्ट के लिए वाहन उपलब्ध कराने" के प्रयोजन से दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और मूल्य बोली) के अंतर्गत ई-निविदाएँ आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 7 महीने और 15 दिनों (16 अगस्त, 2025 से 31 मार्च, 2026) की अवधि के लिए होगा, जिसे बैंक अपने विवेक पर दो वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए, नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव के साथ/बिना किसी बदलाव के, एक वर्ष के लिए बढ़ा सकता है और यह विस्तार संविदात्मक नियमों और शर्तों के संतोषजनक निष्पादन तथा सेवा प्रदाता/ओं के प्रदर्शन के आधार पर बैंक द्वारा वार्षिक समीक्षा के अधीन होगा।

उपरोक्त कार्य के लिए, निविदाकर्ताओं को ई-निविदा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देशों के अनुसार, सभी सहायक दस्तावेजों सहित, **26 जून, 2025 को अपराह्न 14:00 बजे** या उससे पहले अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। निविदाकर्ताओं को निर्धारित प्रारूप के अनुसार पूर्ण रूप से पूर्ण ₹27,040/- की रिफंडेबल बयाना राशि (ईएमडी) के साथ निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। बोलियाँ **26 जून, 2025 को अपराह्न 15:00 बजे** इलेक्ट्रॉनिक रूप में खोली जाएँगी। यदि ऊपर बताई गई किसी भी तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो यहाँ उल्लिखित संबंधित उद्देश्य के लिए अगला कार्य दिवस मान्य होगा।

निविदा दस्तावेज़ वेबसाइट www.rbi.org.in और www.mstcecommerce.com/eprocn/ से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस निविदा से संबंधित कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट/ई-पोर्टल पर ही अपलोड किए जाएँगे। निविदाकर्ता को किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से उपरोक्त वेबसाइट/ई-पोर्टल देखते रहना चाहिए।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001

निविदा की समय-सारणी (एसओटी)

1	कार्यों का विवरण	धन प्रेषण के लिए पुलिस एस्कॉर्ट को वाहन उपलब्ध कराना
2	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली एमएसटीसी लिमिटेड। www.mstcecommerce.com/eprocn/ के माध्यम से
3	कार्य के दायरे का निष्पादन	7 महीने और 15 दिन (उद्धृत दरों पर 16 अगस्त, 2025 से प्रभावी)
4	ई-निविदा संख्या	आरबीआई/दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय/निर्गम/1/25-26/ईटी/121[पुलिस को वाहन उपलब्ध कराना]
5	वह तिथि जब एनआईटी पार्टियों द्वारा डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगी	22 मई 2025, सुबह 11:00 बजे
6	(i)कार्य की अनुमानित लागत (प्रति वर्ष) (ii) बयाना राशि जमा (ईएमडी) (iii)लेनदेन शुल्क महत्वपूर्ण नोट:	₹ 13.52 लाख (12 महीने के लिए) क) ₹ 27,040/- एनईएफटी के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली के पक्ष में खाता 186003001 और IFSC – RBISONDPA01 में जमा किया जाना है। ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक या बैंक गारंटी के रूप में भी ईएमडी जमा की जा सकती है। वेंडर के लॉगिन में उपलब्ध एमएसटीसी के ऑनलाइन भुगतान गेटवे का उपयोग करके ₹797.68 का लेनदेन शुल्क भुगतान किया जाना है। चालान के माध्यम से यानेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।

	कृपया ध्यान दें कि वेडरों को ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच केवल एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के पक्ष में एनईएफटी द्वारा लेनदेन शुल्क प्राप्त होने के बाद ही प्राप्त होगी।	
7	एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक या बैंक गारंटी के माध्यम से बयान राशि जमा (ईएमडी) जमा करने की अतिम तिथि	<p>26 जून, 2025, 12:00 बजे</p> <p>क) एनईएफटी के माध्यम से जमा की गई ईएमडी 26 जून 2025 को 12:00 बजे से पहले हमारे पास पहुंच जानी चाहिए।</p> <p>ख) एनईएफटी के माध्यम से जमा की गई ईएमडी 26 जून 2025 को 12:00 बजे से पहले हमारे पास पहुंच जानी चाहिए।</p> <p>यदि ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक या बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की जाती है, तो मूल दस्तावेज हमें पर्याप्त समय पहले भेजा जाना चाहिए ताकि वह 26 जून, 2025 को दोपहर 12:00 बजे से पहले हमारे पास पहुंच जाए। भौतिक दस्तावेज की स्कैन की हुई प्रति भी हमें ईमेल आईडी issuenewdelhi@rbi.org.in के माध्यम से 26 जून, 2025 को दोपहर 12:00 बजे से पहले भेजनी होगी। यदि भौतिक ईएमडी दस्तावेज (डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक या बैंक गारंटी) हमें प्राप्त नहीं होता है या ईएमडी के लिए डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक या बैंक गारंटी की स्कैन की हुई प्रति हमें 26 जून, 2025 को दोपहर 12:00 बजे से पहले प्राप्त नहीं होती है, तो निविदा को अस्वीकृत माना जाएगा।</p>

8	सिक्युरिटी डिपॉजिट	कार्य सौंपे जाने के 10 दिनों के भीतर ₹ 67,600/- की राशि, अनुबंध-II में दिए गए प्रारूप के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रूप में भारतीय रिझर्व बैंक के पास रखी जानी चाहिए।
9	ऑफ-लाइन बोली-पूर्व बैठक का कार्यक्रम	13 जून 2025, सुबह 11:30 बजे
10	www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर ऑनलाइन टेक्नो-कमर्शियल बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि।	16 जून 2025, सुबह 11:00 बजे
11	भाग-I (अर्थात् तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) और भाग-II मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तिथि	26 जून 2025, 14:00 बजे तक
12	भाग-I (अर्थात् तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खोलने की तिथि एवं समय	26 जून 2025, 14:00 बजे तक
13	भाग-II (मूल्य बोली) खोलने की तिथि एवं समय	भाग-II अर्थात् मूल्य बोली केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं की खोली जाएगी जिनकी भाग-I अर्थात् तकनीकी-वाणिज्यिक बोली बैंक द्वारा स्वीकार्य पाई जाएगी। ऐसे निविदाकर्ताओं को उनके द्वारा पुष्टि किए गए वैध ईमेल के माध्यम से भाग-II मूल्य बोली खोलने की तिथि की सूचना दी जाएगी।

ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश

यह भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली का एक ई-प्रोक्योरमेंट कार्यक्रम है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड है।

आपसे अनुरोध है कि ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले निविदा आमंत्रण सूचना और उसके बाद के शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। जो निविदाकर्ता दस्तावेज़ी प्रमाण (जहाँ आवश्यक हो) के साथ शर्तों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें मूल्य बोली खोलने के लिए निविदा में शामिल नहीं किया जाएगा।

1.	<p>ई-निविदा की प्रक्रिया :</p> <p>क) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में वेंडर को एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद ही वेंडर अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे। तकनीकी-व्यावसायिक बोली और मूल्य बोली, दोनों ही इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएँगी। वेंडर के पास श्रेणी ॥। हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। वेंडरों को इंटरनेट से जुड़े किसी निजी कंप्यूटर से बोली लगाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एमएसटीसी/आरबीआई, नई दिल्ली ऐसी व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएँगी)।</p> <p>विशेष नोट: मूल्य बोली और वाणिज्यिक बोली</p> <p>केवल www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी है।</p> <ol style="list-style-type: none">1) वेंडरों को www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। वेंडर के रूप में पंजीकरण करें, विवरण भरें, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएँ → सबमिट करें।2) वेंडरों को पंजीकरण फॉर्म भरते समय दिए गए ईमेल पर उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। <p>किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, कृपया एमएसटीसी/आरबीआई, नई दिल्ली से (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले) संपर्क करें।</p>
----	--

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी):

1. श्री सेतु दत्त शर्मा, डीएम,
एमएसटीसी, मोबाइल: +91-
7878055855,
ईमेल:
sdsharma@mstcindia.co.in

**संपर्क व्यक्ति (आरबीआई, नई
दिल्ली):**

निर्गम विभाग

1. सुश्री निकिता वी., प्रबंधक
2. श्री सुमित सोलंकी, सहायक,
फ़ोन: 011-23452320

ख) सिस्टम आवश्यकताएँ:

- i. विंडोज 7 और उसके बाद का ऑपरेटिंग सिस्टम
- ii. IE-9 और उसके बाद का इंटरनेट ब्राउज़र
- iii. साइनिंग प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर
- iv. जेआरई 8 अपडेट 161 और उसके बाद का सॉफ्टवेयर जिसे सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना है। (फ़ाइल का नाम - विंडोज X86 ऑफलाइन)

सभी एनिबल X कंट्रोल को सक्षम करने और टूल्स→इंटरनेट ऑप्शन→कस्टम लेवल के अंतर्गत 'यूज पॉप अप ब्लॉकर' को डिसेबल करने के लिए

अधिक जानकारी के लिए, वेंडर सिस्टम सेटिंग्स में **आईई टैब सेटिंग्स गाइड**, एज ब्राउज़र और **आईई टैब** और www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर उपलब्ध FAQ देखे सकते हैं।

2.	<p>क) भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एनआईटी में दी गई निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी।</p> <p>ख) भाग II - मूल्य बोली केवल उन्हीं बोलीदाताओं की इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी जिनकी भाग I तकनीकी-व्यावसायिक बोली भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली द्वारा तकनीकी-व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य पाई जाएगी। ऐसे बोलीदाताओं को उनके द्वारा पुष्टि किए गए वैध ईमेल के माध्यम से भाग II मूल्य बोली खोलने की तिथि की सूचना दी जाएगी।</p>
3.	<p>निविदा में सभी प्रविष्टियाँ बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रारूप में दर्ज की जानी चाहिए।</p>
4.	<p>लेनदेन शुल्क के संबंध में विशेष नोट:</p> <p>वेंडर लॉगिन में "माई मेनू" के अंतर्गत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके वेंडर लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। वेंडरों को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। वेंडर के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, वेंडर एक फॉर्म भरकर चालान तैयार करेगा। वेंडर चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, वेंडर के पास अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार भुगतान एमएसटीसी के नामित बैंक खाते में जमा हो जाने पर, लेनदेन शुल्क स्वचालित रूप से अधिकृत हो जाएगा और वेंडर को सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। लेनदेन शुल्क के लिए भुगतान किए बिना वेंडर के पास ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस पूरी प्रक्रिया के समाप्त के पहले ही समय से लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें ताकि उन्हें बोली प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।</p>

5.	<p>बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे एनआईटी में दिए गए निर्देशानुसार निविदा शुल्क और ईएमडी (यदि कोई हो) भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली में जमा कराएं।</p> <p>वेंडरों को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए बोली प्रक्रिया के दौरान "दस्तावेज़ संलग्न करें" लिंक का उपयोग करें। एक से अधिक दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एक दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 4 एमबी है।</p> <p>लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड हो जाने के बाद, वेंडर संबंधित निविदा के साथ "दस्तावेज़ संलग्न करें" लिंक के माध्यम से दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज़ किसी निविदा के साथ संलग्न नहीं हैं या आरबीआई नई दिल्ली द्वारा डाउनलोड नहीं किए जा सकते हैं, तो यह माना जाएगा कि वेंडर ने दस्तावेज़ जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर उपलब्ध एफएक्यू देखें।</p>
6.	<p>बोलीदाताओं को सभी सूचनाएं और पत्राचार, निविदा प्रक्रिया के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली और एमएसटीसी (ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता) द्वारा निविदा के अंतिम रूप देने तक, केवल ईमेल द्वारा ही भेजे जाएँगे। इसलिए, बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका दिया गया ईमेल पता वैध है और एमएसटीसी (अर्थात् सेवा प्रदाता) के साथ वेंडर के पंजीकरण के चरण में अद्यतन किया गया है। बोलीदाताओं से यह भी अनुरोध है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।</p>
7.	<p>(i) कृपया ध्यान दें कि एनआईटी में उल्लिखित वेबसाइट से निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड करने वाले पक्षों की सूची निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, बोलीदाताओं को किसी भी बदलाव से अवगत रहना चाहिए और निविदा खुलने की नियत तिथि से पहले वेबसाइट को एक बार फिर से देखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड करने के बाद, उक्त निविदा के लिए अपलोड किया गया कोई शुद्धिपत्र उनसे छूट न गया हो। संबंधित शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, डाउनलोड करने की ज़िम्मेदारी केवल बोलीदाताओं की होगी।</p> <p>(ii) इस एनआईटी (यदि कोई हो) के शुद्धिपत्र के संबंध में कोई अलग सूचना उन निविदाकर्ताओं को नहीं भेजी जाएगी जिन्होंने वेबसाइट से दस्तावेज़ डाउनलोड किए हैं। कृपया एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprocn/ देखें।</p>
8	एनआईटी में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद ई-निविदा एक्सेस नहीं की जा सकेगी।
9.	<p>ई-निविदा में बोली लगाना</p> <p>(क) बोलीदाताओं को ई-निविदा के लिए आवश्यक अग्रिम राशि (ईएमडी), निविदा शुल्क (यदि कोई हो) और लेनदेन शुल्क अलग-अलग जमा करना होगा। निविदा शुल्क और लेनदेन शुल्क रिफ़ंडेबल नहीं हैं। अग्रिम राशि (ईएमडी) पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं की अग्रिम राशि आरबीआई, नई दिल्ली द्वारा कार्य सौंपे जाने के तुरंत बाद वापस कर दी जाएगी।</p>

	<p>(ख) इस प्रक्रिया में तकनीकी वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।</p> <p>(ग) जिन बोलीदाताओं ने उपरोक्त शुल्क जमा कर दिया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर उपलब्ध वेंडर लॉगिन विकल्प में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी वाणिज्यिक बोलियाँ और मूल्य बोली जमा कर सकते हैं।</p> <p>(घ) बोलीदाता को जोखिम स्वीकार करके और रन पर क्लिक करके enApple नामक एप्लिकेशन को चलाने की अनुमति देनी होगी। बोली की अंतिम तिथि पर पहुँचने के तुरंत बाद यह प्रक्रिया दो बार करनी होगी। यदि यह एप्लिकेशन नहीं चलाया जाता है, तो बोलीदाता अपनी बोली को सेव/सबमिट नहीं कर पाएगा (विवरण के लिए वेंडर मार्गदर्शिका और एफएक्यू देखें)।</p> <p>(ङ) सबसे पहले, वेंडर को वाणिज्यिक विनिर्देश (यदि कोई हो) भरकर उसे सेव करना होगा। फिर वेंडर को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरनी होगी। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाएगा और उसे भरकर बोलीदाता को अपनी मूल्य बोली दर्ज करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना होगा। फिर, तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली दोनों सेव हो जाने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली दर्ज करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।</p> <p>नोट:- अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद, दो और विकल्प दिखाई देंगे: "बोली वापस लें" और "बोली हटाएँ"। यदि वेंडर अपनी बोली स्थायी रूप से वापस लेना चाहता है, तो उसे "बोली वापस लें" लिंक पर क्लिक करना होगा। वह दोबारा बोली नहीं लगा पाएगा। यदि वेंडर अंतिम सबमिशन के बाद बोली हटाकर दोबारा सबमिट करना चाहता है, तो उसे "बोली हटाएँ" पर क्लिक करके उसे दोबारा सबमिट करना होगा और फिर से "अंतिम सबमिशन" पर क्लिक करना होगा।</p> <p>(च) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ-साथ अपनी स्वयं की आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।</p> <p>(छ) संपूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए तथा अन्य सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।</p> <p>(ज) ई-निविदा फ्लोर पूर्व घोषित तिथि एवं समय से लेकर ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुला रहेगा।</p> <p>(झ) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत वैध बोली माना जाएगा और बैंक द्वारा उसे स्वीकार करने पर आपूर्ति/कार्य के निष्पादन हेतु बैंक और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध स्थापित हो</p>

	<p>जाएगा। ऐसे सफल निविदाकर्ता को आगे से आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार कहा जाएगा।</p> <p>(ज) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं, अन्यथा उन्हें सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।</p> <p>(ट) बैंक बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।</p> <p>(ठ) निविदा दस्तावेज़ के नियम और शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा प्रक्रिया में बोली प्रस्तुत करना, निविदा के नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।</p> <p>(ड) माप की इकाई (यूओएम) ई-निविदा फ्लोर में दर्शाई गई है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-निविदा फ्लोर/निविदा दस्तावेज़ में दर्शाई गई यूओएम के अनुसार भारतीय रूपये में होनी चाहिए।</p>
10.	इस खुली ई-निविदा से उत्पन्न कोई भी आदेश इसमें उल्लिखित नियम और शर्तों द्वारा शासित होगा।
11.	तकनीकी और वाणिज्यिक नियम एवं शर्तों में किसी भी प्रकार के विचलन की अनुमति नहीं है।
12.	आरबीआई, नई दिल्ली को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली(ओं) की प्राप्ति की नियत तिथि बढ़ाने का अधिकार है।
13.	ऑनलाइन निविदा एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprocn/ में निर्धारित नियमों, शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुसार ही प्रस्तुत की जानी चाहिए।
14.	बोलीदाताओं को एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक न होने वाले किसी भी अन्य दस्तावेज़ पर विचार नहीं किया जाएगा।
15.	बोली का मूल्यांकन भरे गए तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रारूपों के आधार पर किया जाएगा।
16.	बोलीदाताओं द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों की जाँच की जाएगी। यदि जाँच के दौरान बोलीदाता द्वारा दी गई कोई भी जानकारी झूठी पाई जाती है, तो चूककर्ता बोलीदाता की अग्रिम राशि जब्त कर ली जाएगी। बैंक द्वारा चूककर्ता बोलीदाताओं के विरुद्ध निलंबन और व्यवसाय पर प्रतिबंध सहित दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

(खंड I से VII)

खंड I - निविदा का प्रारूप

स्थान _____

तारीख _____

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व
बैंक, 6, संसद मार्ग,
नई दिल्ली

महोदय,

हमने ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, सामान्य निर्देशों और विशेष शर्तों की सावधानीपूर्वक जांच की है और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल/स्थलों का दौरा और जांच करने और निविदा को प्रभावित करने वाली उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम एतद्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को भाग ॥ (मूल्य बोली) में उल्लिखित दरों पर तथा सभी प्रकार से करार की शर्तों में उल्लिखित विनिर्देशों और लिखित अनुदेशों, निविदाकर्ता(कों) को दिए गए सामान्य अनुदेशों और विशेष शर्तों के अनुसार तथा अन्य सभी मामलों में, जहां तक वे लागू हों, ऐसी शर्तों के अनुसार निष्पादित करने की पेशकश करता/करती हुं/करते हैं।

2025 के _____ माह का _____ दिन _____

मेसर्स के लिए और उनकी ओर से

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम _____

पदनाम _____

स्थान _____

ज्ञापन

क)	कार्यों का विवरण	धन प्रेषण के लिए पुलिस एस्कॉर्ट हेतु वाहन उपलब्ध कराना।
ख)	अनुमानित लागत (प्रति वर्ष)	₹ 13.52 लाख (12 महीने के लिए)
ग)	बयाना राशि	₹ 27,040/-
घ)	बयाना राशि जमा करने का तरीका	<p>क) ₹ 27,040/- एनईएफटी के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली के पक्ष में खाता 186003001 और IFSC – RBIS0NDPA01 में जमा किया जाना है।</p> <p>ख) ईएमडी भारतीय रिजर्व बैंक के पक्ष में अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक या बैंक गारंटी के रूप में भी जमा की जा सकती है।</p>
ङ)	कार्यों के दायरे का निष्पादन	7 महीने और 15 दिन (उद्धृत दरों पर 16 अगस्त 2025 से प्रभावी)।

1. मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/हैं कि हमारी निविदा निविदा के भाग-I के खुलने की तिथि से 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी तथा वैधता की यह अवधि बैंक और मेरे/हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक सहमति से बढ़ाई जा सकती है।
2. यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम या मेरे उत्तराधिकारी, या समनुदेशिती या नामांकित व्यक्ति निविदा की सभी शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं और इसके उल्लंघन की स्थिति में, निविदा में निहित शर्तों में निर्धारित धनराशि को जब्त कर आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या समनुदेशिती या नामांकित व्यक्ति को अनुबंध की लिखित स्वीकृति के साथ भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

3. मैं/हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
4. निविदा ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से दो भागों में प्रस्तुत की जाती है, अर्थात् भाग I और भाग II। भाग I में सभी वाणिज्यिक नियम व शर्तें और तकनीकी विवरण शामिल हैं, जबकि भाग II में केवल बैंक के प्रोफार्मा में मूल्य बोली शामिल है।

2025 के माह _____ माह का _____ दिन

मेसर्स _____ की ओर से

(मुहर के साथ हस्ताक्षर) _____

नाम _____

पदनाम _____

स्थान _____

तारीख _____

(उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता के पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित ट्रू-कॉपी संलग्न की जानी चाहिए).

गवाह

(1)

नाम, पता और तारीख के साथ
हस्ताक्षर

(2)

नाम, पता और तारीख के साथ
हस्ताक्षर

खंड II

ठेकेदारों के लिए सामान्य निर्देश और अनुबंध की विशेष शर्तें (केवल ई-निविदा प्रक्रिया के संदर्भ में पढ़ी जाएँ)

2.1 कार्य का दायरा

निविदाकर्ता को बैंक के प्रतिनिधि/पुलिस एस्कॉर्ट के लिए निम्नलिखित स्थान से ताज़ा/गंदे नोटों के प्रेषण हेतु पर्याप्त संख्या में कारें/उपयोगिता वाहन उपलब्ध कराने होंगे, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) से युक्त हों:

- i. रेलवे स्टेशन / हवाई अड्डे / भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी निर्गम कार्यालय या स्थान से भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली को
- ii. भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली से इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत या दिल्ली एनसीआर में स्थित करेंसी चेस्टों को; और
- iii. भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली (अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) के अधिकार क्षेत्र में स्थित करेंसी चेस्ट से भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी निर्गम कार्यालय को

2.2 निविदाकर्ता के लिए पात्रता

निविदाकर्ता प्रतिष्ठित, अनुभवी, संसाधन संपन्न, वित्तीय रूप से सुदृढ़ तथा लाइसेंस प्राप्त इकाई (कंपनी/साझेदारी/स्वामित्व वाली फर्म, आदि) होना चाहिए, जिसके पास निम्नलिखित हों:

- i. समान सेवाएं प्रदान करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए (आवेदन आमंत्रित किए जाने वाले माह के पिछले माह के अंतिम दिन तक के पिछले 5 वर्षों के दौरान)।
- ii. पिछले वित्तीय वर्ष 31 मार्च (अर्थात् 31 मार्च, 2025) को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के दौरान अनुबंध की अनुमानित लागत का कम से कम 100% वार्षिक कारोबार होना चाहिए, अर्थात् ₹ 13,52,000/-, जो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा विधिवत् समर्थित हो।
- iii. नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार सकारात्मक निवल मूल्य। निविदाकर्ताओं को बैंक द्वारा विधिवत् प्रमाणित सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- iv. लगभग 6 से 10 उच्च ग्राउंड क्लीयरेंस वाले जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) युक्त वाहन जिसमें फायरआर्म ले जाने के लिए पर्याप्त स्थान हो।
- v. बोलीदाता के पास पिछले 5 वर्षों में इसी प्रकार के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव होना चाहिए।

आवेदन आमंत्रित किए जाने वाले महीने के अंतिम दिन से पहले के महीने के अंतिम दिन तक, निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए:

- क) तीन समान पूर्ण सेवाएं, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% (चालीस प्रतिशत) के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए (अर्थात्, एक व्यक्तिगत अनुबंध के तहत प्रत्येक व्यक्तिगत पूर्ण समान सेवा ₹5,40,800/- से कम नहीं होनी चाहिए); या
- ख) दो समान पूर्ण सेवाएं, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% (पचास प्रतिशत) के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए (अर्थात्, व्यक्तिगत अनुबंध के तहत प्रत्येक व्यक्तिगत पूर्ण समान सेवा की लागत ₹ 6,76,000/- से कम नहीं होनी चाहिए); या
- ग) एक समान पूर्ण सेवा, जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% (अस्सी प्रतिशत) के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए (अर्थात्, व्यक्तिगत अनुबंध के तहत प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पूरी की गई समान सेवा की लागत ₹ 10,81,600/- से कम नहीं होनी चाहिए)

नोट:

"समान सेवाओं" का तात्पर्य केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/प्रतिष्ठित संगठनों को कारों/उपयोगिता वाहनों की आपूर्ति हेतु निविदाकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से होगा। निविदा दस्तावेज़ में दिए गए पात्रता मानदंडों के अंतर्गत किसी भी निविदाकर्ता का पिछला कार्य अनुभव समान प्रकृति के कार्य के रूप में योग्य है या नहीं, इस बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली का निर्णय अंतिम होगा और सभी निविदाकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा।

- vi. निविदाकर्ता के पास कर्तव्यों के निर्वहन के लिए वैध पर्मनेंट अकाउंट नंबर (पैन) और जीएसटीएन नंबर होना चाहिए।
- vii. अनुबंध के सफलतापूर्वक प्रदान किए जाने की स्थिति में, निविदाकर्ता के पास अनुबंध के निष्पादन, सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने, निविदा में वर्णित कार्य के दायरे को पूरा करने के लिए वाहन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में एक कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि कार्यालय होगा।
- viii. निविदाकर्ता को किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खाता रखना होगा। बैंक का नाम और खाते की प्रकृति बैंक को बतानी होगी।

नोट: निविदाकर्ताओं को आवश्यक योग्यता/पात्रता रखने के अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज़ी साक्ष्य, अर्थात् ग्राहक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, यदि आरबीआई के अन्य कार्यालयों या अन्य संस्थाओं से प्राप्त फीडबैक/ग्राहक रिपोर्टों के आधार पर बोलीदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता असंतोषजनक पाई जाती है, तो यह उनकी बोली को अयोग्य/अस्वीकार करने का आधार बनेगा।

भाग ॥ मूल्य बोली केवल उन्हीं बोलीदाताओं की इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी जिनकी भाग। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली द्वारा तकनीकी-व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य पाई जाएगी। ऐसे बोलीदाताओं को उनके द्वारा प्रदान किए गए वैध ईमेल के माध्यम से भाग ॥ मूल्य बोली खोलने की तिथि की सूचना दी जाएगी।

2.3 निविदा जारी करना और प्रस्तुत करना

"धनप्रेषण के साथ पुलिस एस्कॉर्ट को वाहन उपलब्ध कराने" के लिए निविदा इस दस्तावेज़ के "ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश" में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सख्ती से एमएसटीसी वेबसाइट के माध्यम से अपलोड की जाएगी और किसी भी परिस्थिति में 26 जून, 2025 को 14:00 बजे से पहले भागीदारी के लिए निविदाकर्ता के लिए खुली रहेगी।

2.3(क) भाग I - तकनीकी और वाणिज्यिक/कार्य का दायरा और वाणिज्यिक शर्तें

- क)** कार्य की अनुमानित लागत ₹ 13.52 लाख प्रति वर्ष है, तथापि वास्तविक राशि भिन्न हो सकती है।
- ख)** भाग-I में बिना मूल्य वाली निविदा होगी जिसमें निर्दिष्ट कार्य का दायरा, कार्य की मद के विनिर्देश, दस्तावेज और वाणिज्यिक नियम व शर्तें आदि शामिल होंगी। बयाना राशि एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक या बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की जाएगी।
- ग)** प्रस्तुत निविदा के भाग-I में निम्नलिखित शामिल होंगे, जब तक कि इस दस्तावेज़ में अलग से अन्यथा न कहा गया हो:
- (i) बयाना राशि (ईएमडी) एनईएफटी के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली के पक्ष में खाता संख्या 186003001 और IFSC – RBISONNDPA01 में एनआईटी में दी गई तिथि और समय तक जमा की जानी चाहिए। ईएमडी भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में जारी किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक या बैंक गारंटी के रूप में भी जमा की जा सकती है।

- (ii) निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम के सामने कंपनी/फर्म की मुहर के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकार।
 - (iii) कोई अन्य तकनीकी जानकारी जो निविदाकर्ता प्रदान करना चाहता है
 - (iv) सफल निविदाकर्ता को कार्य सौंपे जाने की तिथि से 10 दिनों के भीतर सिक्युरिटी डिपॉजिट के रूप में अनुलग्नक-॥ में दिए गए प्रारूप के अनुसार निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।
- घ)** निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा देने से पहले साइट का दौरा करें और साइट की स्थिति से परिचित हो जाएं।
- ड)** निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट अनुबंध की सामान्य शर्तों और कार्य के दायरे के अनुसार ही निविदा प्रस्तुत करें और किसी भी प्रकार का विचलन न रखें। यदि निविदा दस्तावेजों में दिए गए नियम और शर्तों को स्वीकार करने से मूल्य पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो उसे उद्धृत मूल्य में शामिल माना जाएगा। नियम और शर्तों से विचलन वाली निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।
- च)** सभी सूचनाएं, पत्राचार क्षेत्रीय निदेशक, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली को संबोधित किए जाएंगे।

2.3(ख) भाग ॥ – मूल्य बोली

- क)** निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे निविदा प्रस्तुत करने से पहले कार्य/गतिविधियों के स्थल/स्थलों अर्थात बैंक परिसर, रेलवे स्टेशन का दौरा करें तथा स्थल की स्थिति से परिचित हो जाएं।
- ख)** इस भाग में केवल **भारतीय रूपये** में मूल्य दर्शाए जाएँगे और यह केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं के लिए खोला जाएगा जो न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरा करते हैं और जिनका अन्य आरबीआई कार्यालयों या अन्य संगठनों में समान सेवाएँ प्रदान करने का संतोषजनक रिकॉर्ड है। निविदा के भाग ॥ में नियम और शर्तों में कोई भी परिवर्तन या तकनीकी विचलन, यदि कोई हो, पाया जाता है, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसी निविदा को अमान्य माना जाएगा। भाग ॥ के खुलने की तिथि और समय पात्र निविदाकर्ताओं को उनके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल के माध्यम से अलग से सूचित किया जाएगा।
- ग)** दरें केवल **भारतीय रूपये** में ही उद्धृत की जानी चाहिए। निविदा भाग ॥ के खुलने के बाद दरों या शर्तों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

घ) उद्धृत दरें निविदा के भाग-II पर आधारित होंगी और संपूर्ण अनुबंध अवधि तक बिना किसी वृद्धि के स्थिर और बाध्यकारी होंगी।

ड) किसी भी वस्तु के लिए, यदि दर और राशि मात्रा के बिल के संबंध में मेल नहीं खाती है, तो उद्धृत दरों के आधार पर प्राप्त राशि ही स्वीकार्य होगी और मूल और डुप्लिकेट में दरों में भिन्नता के मामले में, उस वस्तु के लिए कुल राशि निकालने के लिए दोनों दरों में से कम दर पर विचार किया जाएगा।

2.4 निविदा खोलना:

बैंक अधिसूचित तिथि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदा खोलेगा।

2.5 बोली-पूर्व बैठक

2.5.1 इच्छुक निविदाकर्ताओं की एक निविदा-पूर्व संक्षिप्त बैठक **13 जून, 2025** को प्रातः **11:30** बजे सम्मेलन कक्ष, निर्गम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी ताकि निविदा के संबंध में उनके द्वारा उठाए गए किसी भी बिंदु/संदेह को स्पष्ट किया जा सके। इस बैठक के लिए कोई अलग से सूचना नहीं भेजी जाएगी। यह अनुशंसा की जाती है कि सभी इच्छुक निविदाकर्ता अपने हित में बोली-पूर्व बैठक में उपस्थित रहें।

2.5.2 यदि बोलीदाताओं को सामान्य शर्तों के किसी भाग के अर्थ, या विशेष शर्तों या कार्य के दायरे या निविदा से संबंधित किसी अन्य मामले के बारे में कोई संदेह है, तो वह बोली-पूर्व बैठक की निर्धारित तिथि और समय से पहले, आरबीआई को ई-मेल आईडी issuenewdelhi@rbi.org.in पर या लिखित रूप में निविदा आमंत्रण प्राधिकारी को संबोधित करके प्रश्न प्रस्तुत करेगा, ताकि बोली-पूर्व बैठक के दौरान ऐसे संदेहों को आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया जा सके और सभी बोलीदाताओं को उचित समय पर सूचित किया जा सके।

2.5.3 किसी भी विचलन/शर्त के साथ प्राप्त कोई भी निविदा अस्वीकृत की जा सकती है। बोली-पूर्व बैठक के बाद किसी भी संदेह/स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.6 निविदा की वैधता

2.6.1 निविदा, निविदा के भाग-। के खुलने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति हेतु वैध होगी और आपसी सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकेगी। इस अवधि के दौरान निविदाकर्ता द्वारा निविदा वापस लेने की स्थिति में, बैंक अग्रिम राशि जब्त कर लेगा। निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दरें अनुबंध की अवधि, अर्थात् 16 अगस्त, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक स्थिर रहेंगी।

2.7 न्यूनतम निविदा को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है

2.7.1 उद्धृत दरों में सबसे कम दर वाले को एल-1 माना जाएगा और यदि प्रचलित बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सबसे कम दर उचित प्रतीत होती है, तो उसे कार्य प्रदान किया जाएगा। यदि दो या अधिक निविदाकर्ता न्यूनतम दर, अर्थात् समान राशि उद्धृत करते हैं, तो ऐसे निविदाकर्ताओं से पहले से उद्धृत राशि पर छूट सीलबंद लिफाफे में प्राप्त की जाएगी और उद्धृत दरों में से सबसे कम दर वाले को एल-1 माना जाएगा।

2.7.2 बैंक न्यूनतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्णतः या आंशिक रूप से अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.7.3 जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार नहीं की जाती है, वह निविदा प्रस्तुत करने के संबंध में उसके द्वारा किए गए किसी भी आकस्मिक या व्यय, लागत, प्रभार, क्षति और खर्च का दावा करने का हकदार नहीं होगा, भले ही बैंक निविदा को संशोधित/वापस लेने का विकल्प चुन सकता है।

2.8 बयाना राशि

2.8.1 इच्छुक निविदाकर्ताओं को एनआईटी में दी गई तिथि और समय तक ₹27,040/- की बयाना राशि एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक या बैंक गारंटी के माध्यम से जमा करनी होगी। यदि निविदाकर्ता, निविदा जमा करने के बाद, अपने प्रस्ताव से विचलित होता है या उसके नियमों और शर्तों में संशोधन करता है या अपनी बोली वापस लेता है, तो ऐसी निविदाएँ रद्द कर दी जाएँगी और अग्रिम राशि जब्त कर ली जाएगी। बैंक अग्रिम राशि पर कोई ब्याज नहीं देगा।

2.8.2

एनईएफटी के माध्यम से जमा की गई ईएमडी हमें 26 जून, 2025 को दोपहर 12:00 बजे से पहले मिल जानी चाहिए। यदि ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक या बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की जाती है, तो मूल दस्तावेज हमें पर्याप्त समय पहले भेजा जाना चाहिए ताकि वह 26 जून, 2025 को दोपहर 12:00 बजे से पहले हमारे पास पहुँच जाए। भौतिक दस्तावेज की स्कैन की हुई प्रति भी हमें ईमेल issuenewdelhi@rbi.org.in के माध्यम से 26 जून, 2025 को दोपहर 12:00 बजे से पहले भेजनी होगी। यदि भौतिक ईएमडी दस्तावेज (डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक या बैंक गारंटी) हमें प्राप्त नहीं होता है या ईएमडी के लिए डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक या बैंक गारंटी की स्कैन की हुई प्रति हमें 26 जून, 2025 को दोपहर 12:00 बजे से पहले प्राप्त नहीं होती है, तो निविदा को अस्वीकृत माना जाएगा।

2.8.3 बिना अग्रिम राशि जमा किए कोई भी निविदा अस्वीकृत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई निविदाकर्ता एनआईटी में उल्लिखित तिथि और समय के बाद अग्रिम राशि जमा करता है, तो उसकी निविदा रद्द मानी जाएगी और भाग-I खोलने के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.8.4 सफल निविदाकर्ता की ईएमडी इस निविदा दस्तावेज के पैरा 2.10 में दिए गए विवरण के अनुसार संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक II) में कार्य सौंपे जाने के 10 दिनों के भीतर सुरक्षा जमा के रूप में ₹ 67,600/- की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर डिस्चार्ज हो जाएगी।

2.8.5 सफल निविदाकर्ता के अलावा अन्य सभी निविदाकर्ताओं की बयाना राशि बोली की वैधता (विस्तारित वैधता सहित) की समाप्ति पर या सफल निविदाकर्ता को कार्य सौंपे जाने पर, जो भी पहले हो, वापस कर दी जाएगी।

2.8.6 यदि बैंक द्वारा निविदा आमंत्रण वापस ले लिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है, तो बैंक को किसी भी समय ऐसा करने का अधिकार होगा, तो ईएमडी वापस ले ली जाएगी।

2.8.7 यदि सफल निविदाकर्ता पीबीजी के रूप में सिक्युरिटी डिपॉजिट जमा प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत ईएमडी को बैंक द्वारा किसी और हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी होने के पूर्वाग्रह के बिना जब्त कर लिया जाएगा।

2.9 प्रारंभ / नवीनीकरण

2.9.1 बैंक से अपनी/अपनी निविदाओं की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध का निष्पादन और कार्यान्वयन करने के लिए बाध्य होगा। सफल निविदाकर्ता को निविदा दस्तावेज की शर्तों और दरों की अनुसूची के अनुसार एक सप्ताह के भीतर बैंक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करना होगा। स्टाम्प पेपर का खर्च सफल निविदाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

2.9.2 अनुबंध एक बार में 7 महीने और 15 दिन (अर्थात् 16 अगस्त, 2025 - 31 मार्च, 2026) के लिए वैध होगा, जिसे बैंक अपनी इच्छानुसार दो वर्षों की अवधि के लिए, एक-एक वर्ष हेतु, नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव के साथ/बिना, अनुबंध की शर्तों के संतोषजनक निष्पादन के अधीन, बढ़ा सकता है। इसके बाद, उक्त सेवा के लिए नई निविदा हेतु नए सिरे से बोली लगाई जा सकती है।

2.9.3 जब अनुबंध की अवधि समाप्त होने वाली हो, तो बैंक अनुबंध के विस्तार पर विचार कर सकता है। मौजूदा अनुबंध की समाप्ति से तीन महीने पहले, ठेकेदार को बैंक को लिखित रूप में यह बताना होगा कि क्या वह मौजूदा नियम और शर्तों पर अनुबंध को आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत करने के लिए तैयार है।

2.9.4 यदि ठेकेदार द्वारा अनुबंध के नवीकरण के लिए शुल्क में वृद्धि की मांग की जाती है, तो बैंक मांग की गई वृद्धि की तर्कसंगतता की जांच कर सकता है और अपनी राय में, मांग की गई वृद्धि के संबंध में ठेकेदार के साथ बातचीत कर सकता है।

2.9.5 सफल निविदाकर्ता को उन ड्राइवरों की सूची प्रस्तुत करनी होगी, जिन्हें वह अनुबंध के अंतिम रूप दिए जाने पर नियुक्त करेगा तथा उन्हें उनके पूरे नाम और पते के साथ-साथ हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो तथा अपने ड्राइविंग लाइसेंस, चरित्र प्रमाण पत्र और अनुबंध शुरू होने से पहले किए गए पुलिस सत्यापन की सत्यापित प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।

2.10 परफॉर्मेंस प्रदर्शन बैंक गारंटी

2.10.1 अनुमानित अनुबंध मूल्य के 5% के बराबर राशि अर्थात् ₹67,600/- के लिए एक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) आरबीआई द्वारा अनुबंध दिए जाने की अधिसूचना जारी होने के 10 दिनों के भीतर जमा की जाएगी।

2.10.2 ठेकेदार द्वारा संविदात्मक दायित्वों की उचित पूर्ति हेतु पीबीजी, अनुबंध की संपूर्ण अवधि के लिए मान्य होगी। पीबीजी का प्रस्तुतीकरण निविदा में निर्धारित अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। यदि अनुबंध का नवीनीकरण किया जाता है, तो ठेकेदार तदनुसार विस्तारित निष्पादन बैंक गारंटी प्रदान करने की व्यवस्था करेगा।

2.10.3 अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रस्तुतीकरण में देरी के मामले में, पीबीजी प्रस्तुतीकरण में देरी के लिए भारतीय रिझर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 49 के अनुसार प्रकाशित "बैंक दर" पर ठेकेदार के बिलों से प्रभार वसूल किया जाएगा।

2.10.4 पीबीजी की राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

2.10.5 आवश्यक वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण अनुबंध के मूल्य में वृद्धि होने पर, बैंक अनुबंध राशि के अनुपात में बैंक गारंटी की राशि बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ठेकेदार अतिरिक्त राशि की बैंक गारंटी प्रदान करने के लिए बाध्य होगा।

2.11 ठेकेदार के कर्तव्य:

वैधता अवधि पूरी होने तक अनुबंध को सफलतापूर्वक निष्पादित करना ठेकेदार की ज़िम्मेदारी रहेगी। यदि ठेकेदार निर्धारित कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो उसका पीबीजी रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा, ठेकेदार को अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण बैंक को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई करनी होगी, जिसके लिए बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा।

- (i) ठेकेदार, अनुबंध अवधि के दौरान, महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, नई दिल्ली या उनके किसी अधीनस्थ अधिकारी से इस आशय का लिखित या मौखिक अनुरोध प्राप्त होने पर, धन प्रेषण के साथ पुलिस एस्कॉर्ट हेतु पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराएगा। ऐसा अनुरोध ठेकेदार को टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल या फैक्स आदि के माध्यम से दिया जा सकता है। नोट बक्सों के परिवहन के लिए निर्धारित समय से कम से कम तीन घंटे पहले, बैंक द्वारा मौखिक या लिखित रूप से एक और नोटिस जारी करके अनुरोध सूचना को रद्द किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, बैंक ठेकेदार को पारिश्रमिक, क्षतिपूर्ति आदि के रूप में कोई भुगतान नहीं करेगा।
- (ii) अत्यावश्यक मामलों में, बैंक के निर्गम विभाग के प्रभारी महाप्रबंधक/उमप्र द्वारा प्रमाणित, बारह घंटे के नोटिस के स्थान पर तीस मिनट के नोटिस के साथ बैंक द्वारा मांग की जा सकती है और ठेकेदार द्वारा तदनुसार इसका अनुपालन किया जाएगा।
- (iii) इस प्रकार दिए गए नोटिस का अनुपालन किया जाएगा, भले ही इसके लिए सामान्य व्यावसायिक घंटों से परे काम करना आवश्यक हो या परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित दिन/दिनों पर काम करना आवश्यक हो, जिसमें शनिवार और रविवार या इस संबंध में लागू कोई अन्य मौजूदा क़ानून/प्रावधान शामिल हों।
- (iv) ठेकेदार किसी भी परिस्थिति में बैंक प्रतिनिधियों और पुलिस एस्कॉर्ट्स के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को वाहन में यात्रा नहीं कराएगा।
- (v) निविदाकर्ता को आवश्यक मार्ग परमिट प्राप्त करना होगा तथा सभी प्रासंगिक करों का भुगतान स्वयं करना होगा।
- (vi) ठेकेदार का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने ड्राइवरों को वर्द्दी/फोटो पहचान पत्र जारी करे।
- (vii) ठेकेदार आगे से अनुबंध को किसी को नहीं सौंपेगा। वह बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना अनुबंध के किसी

भी हिस्से को उप-किराए पर नहीं देगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, बैंक अनुबंध को रद्द कर सकता है और पीबीजी लागू कर सकता है।

(viii) वाहनों के किसी भी प्रकार के खराब होने की स्थिति में, ठेकेदार समान विशिष्टताओं वाली वैकल्पिक कारों/यूटिलिटी वाहनों की सेवाएँ उपलब्ध करा सकेगा ताकि कर वापसी में देरी न हो। यदि ठेकेदार ऐसी व्यवस्था करने में विफल रहता है या देरी करता है और बैंक बाजार से ऐसी व्यवस्था करता है, तो बैंक ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाले शुल्कों/बिलों से ठेकेदार से ऐसी व्यवस्था की लागत वसूलने का हकदार होगा।

(ix) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि वाहनों के पास संबंधित आरटीओ द्वारा जारी वैध अनुमति पत्र, पंजीकरण पत्र, परमिट, पीयूसी प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, अद्यतन कर भुगतान, आवश्यक बीमा कवर आदि हों। चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। ठेकेदार उक्त परमिट, लाइसेंस, प्रमाणपत्र आदि के अभाव में बैंक को हुए किसी भी नुकसान, लागत, शुल्क और व्यय के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध कराए जा रहे वाहनों के संबंध में राज्य सरकार/केंद्र सरकार के सभी निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन किया जाए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जीआरएपी मानदंडों का पालन/निर्धारित आयु के डीजल/पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध आदि शामिल हैं।

(x) बैंक को किसी भी समय ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु तैनात वाहनों का निरीक्षण करने या निरीक्षण की व्यवस्था करने का अधिकार होगा और किसी भी वाहन/उपकरण को असुरक्षित घोषित कर उसे तत्काल कार्य से हटाने का आदेश दे सकता है। ठेकेदार को इसका शीघ्र/तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(xi) ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले वाहन 7 वर्ष से कम पुराने होने चाहिए और सड़क पर चलने योग्य तथा अच्छी स्थिति में होने चाहिए। ये वाहन या तो ठेकेदार के स्वामित्व में होने चाहिए या पट्टे पर लिए गए होने चाहिए। पट्टे पर दिए गए वाहनों के मामले में, अनुबंध के दौरान वाहनों का पट्टा समाप्त नहीं होना चाहिए।

(xii) बैंक का कार्य उचित, सावधानीपूर्वक, शीघ्रतापूर्वक और कुशलतापूर्वक किया जाना चाहिए। निविदाकर्ता को दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय में कार्य करना होगा।

(xiii) ठेकेदार को सौंपे जाने वाले कार्य समय की वृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए, ठेकेदार को बैंक द्वारा निर्दिष्ट सूचना पर पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराने होंगे।

(xiv) ठेकेदार के लिए यह अनिवार्य है कि वह अनुबंध शुरू होने से पहले अपने द्वारा नियुक्त सभी ड्राइवरों के पूर्ववृत्त और चरित्र का पुलिस विभाग से सत्यापन करवाए। ड्राइवरों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
25

(xv) ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि नोटों/सिक्कों का प्रेषण ले जाने वाले बंद ट्रकों के साथ भेजा गया वाहन सभी निर्दिष्ट गंतव्यों पर ट्रकों के साथ-साथ पहुंचे।

(xvi) ठेकेदार बैंक की आईएस नीति के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करेगा।

2.12 भुगतान और कर

2.12.1 प्रत्येक खेप के लिए सभी प्रकार से पूर्ण बिल प्रस्तुत करने के बाद भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा।

2.12.2 ठेकेदार को प्रदान की गई सेवाओं के लिए इस अनुबंध की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर शुल्क का भुगतान किया जाएगा। प्रस्तावित शुल्क निश्चित हैं और इन्हें संपूर्ण अनुबंध अवधि के लिए किसी भी आधार पर बढ़ाया नहीं जा सकता है और ठेकेदार द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

2.12.3 अनुबंध मूल्य में सभी निश्चित और परिचालन शुल्क शामिल होंगे और यह कार्य के दायरे, आपूर्ति किए जा रहे वाहन पर आधारित होगा और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ चालक का वेतन/वर्दी/भोजन/भत्ते आदि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) भुगतान, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) भुगतान, बोनस भुगतान, ग्रेचुटी, बीमा, लाभ और ओवरटाइम मजदूरी, यदि कोई हो, कर और लेवी, पार्किंग शुल्क, टोल गेट शुल्क और अन्य सभी शुल्क शामिल होंगे। ठेकेदार की ओर से यह अनिवार्य है कि वह अपने ठेका श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं, छंटनी मुआवजा, नोटिस वेतन, ग्रेचुटी और बोनस का भुगतान करे और ठेकेदार इस संबंध में प्रचलित कानूनों द्वारा अपेक्षित ठेका श्रमिकों को सभी कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।

2.12.4 बैंक भुगतान के बाद लेखापरीक्षा या तकनीकी जांच या किसी अन्य माध्यम से भुगतान के बाद पता लगे कि किसी भी अधिक भुगतान की वसूली/वसूली लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.12.5 अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य धनराशियां, ठेकेदार को देय या देय होने वाली बकाया राशि से काट ली जाएंगी या बैंक द्वारा उचित समझे जाने पर परफॉर्मेंस बैंक गारंटी निष्पादित करेगा।

2.12.6 इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में कि क्या इसके अंतर्गत कोई दायित्व उत्पन्न हुआ है, क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के मुकदमों के लिए, दिल्ली न्यायालयों का विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

2.13 बीमा

2.13.1 ठेकेदार को वाहनों/तृतीय पक्ष से जुड़े सभी प्रकार के जोखिमों को कवर करने के लिए अपनी लागत पर सभी बीमा लेने होंगे। ये पॉलिसियाँ स्वीकृत अनुबंध अवधि के लिए मान्य होंगी। यदि ठेकेदार ये पॉलिसियाँ प्रदान नहीं करता है, तो आरबीआई के पास उपरोक्त बीमा पॉलिसियाँ स्वयं लेने और उनकी लागत ठेकेदार के बिल से वसूलने का अधिकार सुरक्षित है।

2.14 बैंक के अधिकार

2.14.1 बैंक निविदा उपलब्धता की अवधि और/या बोलियां खोलने की तिथि बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.14.2 बैंक किसी भी/सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना किसी उत्तरदायित्व और/या कोई कारण बताए योग्यता की प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.14.3 यदि दो या अधिक निविदाकर्ता चूनतम दर पर आते हैं, अर्थात् समान राशि उद्धृत करते हैं, तो बैंक ऐसे निविदाकर्ताओं से सीलबंद लिफाफे में पहले से उद्धृत राशि पर छूट प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और सीलबंद लिफाफे के माध्यम से प्राप्त उद्धृत दरों में से सबसे कम दर को एल-1 माना जाएगा।

2.14.4 यहां निर्दिष्ट नियम व शर्तें सांकेतिक प्रकृति की हैं और ये बैंक को सफल बोलीदाता के साथ करार के निष्पादन के समय बोलीदाता पर ऐसे अतिरिक्त या अन्य नियम व शर्तों को लागू करने या उन पर सहमत होने की आवश्यकता डालने, या यहां निहित नियम व शर्तों को बदलने, संशोधित करने या छोड़ने से नहीं रोकेंगी, जैसा कि इस निविदा के तहत दिए जा रहे कार्य के उचित और उचित निष्पादन के लिए आवश्यक समझा जाता है।

2.14.5 ठेकेदार या उसके एजेंट/कर्मचारी/चालक यदि यहाँ उल्लिखित नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हैं और/या असंतोषजनक सेवाएँ प्रदान करते हैं, तो बैंक की राय में, बिना किसी पूर्व सूचना या इसके बदले में किसी भी प्रकार का मुआवजा दिए, तुरंत दंड और/या अनुबंध की समाप्ति के लिए उत्तरदायी होंगे।

2.14.6 उपरोक्त किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के बिना, अनुबंध अवधि के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने के नोटिस के साथ अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।

2.15 विवाद समाधान

2.15.1 यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस निविदा की शर्तों और नियमों पर किसी भी/सभी विवादों के मामले में, निविदा दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा (यदि निविदा अंग्रेजी और किसी अन्य भाषा में एक साथ जारी की जाती है)।

2.15.2 यदि बैंक और ठेकेदार/प्रतिपक्ष के बीच अनुबंध या कार्यों के निष्पादन के संबंध में या उससे उत्पन्न किसी भी प्रकार का

विवाद उत्पन्न होता है, तो पक्षों को सद्व्यवनापूर्वक, आपसी बातचीत के माध्यम से, उस तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर सौहार्दपूर्ण ढंग से इसे हल करने का प्रयास करना चाहिए, जिस दिन कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को सौहार्दपूर्ण बातचीत/वार्ता करने के लिए नोटिस देता है।

2.15.3 यदि उपरोक्त अवधि के भीतर कोई सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं निकलता है, तो विवाद को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसार मध्यस्थता या सुलह के माध्यम से अंतिम रूप से हल किया जाएगा। मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय पक्षों पर बाध्यकारी होगा और अनुबंध पर लागू होगा।

2.15.4 क्षेत्राधिकार और शासकीय कानून: यह करार **दिल्ली** की अदालतों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। यह करार भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा।

2.16 अप्रत्याशित घटना

2.16.1 इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी अन्य बात के बावजूद, कोई भी पक्ष इसके अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में किसी भी देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि ऐसी देरी उसके उचित नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण होती है [जिसमें बिना किसी सीमा के सरकारों के कृत्यों, दैवीय कृत्यों, प्राकृतिक या सामाजिक आपदाओं, हड़तालों, किसी भी क्षेत्र में दंगों, नेटवर्क विफलता, आतंकवादी हमले, युद्ध (घोषित और अघोषित) के कारण होने वाली देरी शामिल है] बशर्ते कि आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई किसी भी प्रकार की देरी से उस पक्ष को देरी के लिए उत्तरदायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी, सिवाय इसके कि ऐसी देरी संबंधित आपूर्तिकर्ता के उचित नियंत्रण से परे हो।

2.17 अस्वीकरण

2.17.1 यद्यपि इस दस्तावेज़ को तैयार करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी निविदाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि दस्तावेज़ सभी प्रकार से पूर्ण है। किसी भी विसंगति की सूचना इस कार्यालय को तुरंत दी जानी चाहिए। यदि निविदा आमंत्रण की तिथि से सात (7) दिनों के भीतर किसी भी निविदाकर्ता से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि यह दस्तावेज़ सभी प्रकार से पूर्ण है।

2.17.2 बैंक सभी प्रारूपों और अनुलग्नकों सहित इस दस्तावेज़ को संशोधित, संशोधित या पूरक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.17.3 यद्यपि यह दस्तावेज सद्व्यवनापूर्वक तैयार किया गया है, फिर भी न तो बैंक और न ही उनके कर्मचारी या सलाहकार इसमें दिए गए किसी कथन या चूक, या सूचना की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता के संबंध में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी,

व्यक्त या निहित, या किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार करते हैं, और इस दस्तावेज की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के संबंध में किसी भी कानून, कानून, नियम या विनियमन के तहत कोई दायित्व नहीं लेंगे, भले ही उनकी ओर से किसी कार्य या चूक के कारण कोई हानि या क्षति हुई हो।

2.18 गोपनीयता संबंधी शर्त

2.18.1 इस निविदा दस्तावेज में निहित या बाद में निविदाकर्ता(कों) को मौखिक रूप से या बैंक की ओर से या उसके किसी कर्मचारी द्वारा दस्तावेजी रूप में प्रदान की गई जानकारी, इस निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियम और शर्तों और अन्य सभी नियमों और शर्तों के अधीन होगी, जिनके अधीन ऐसी जानकारी प्रदान की जाती है।

2.18.2 इस निविदा दस्तावेज का उद्देश्य निविदाकर्ता(ओं) को उनके प्रस्ताव तैयार करने में सहायता के लिए जानकारी प्रदान करना है।

2.18.3 इस निविदा दस्तावेज में प्रत्येक निविदाकर्ता के लिए अपेक्षित सभी सूचनाएं शामिल करने का दावा नहीं किया गया है।

2.18.4 यह निविदा दस्तावेज सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है तथा बैंक और/या उसके कर्मचारियों के लिए यह संभव नहीं है कि वे इस निविदा दस्तावेज को पढ़ने या उपयोग करने वाले प्रत्येक बोलीदाता के निवेश उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति और विशेष आवश्यकताओं पर विचार कर सकें।

2.18.5 प्रत्येक निविदाकर्ता को अपनी स्वयं की जांच और विश्लेषण करना चाहिए तथा इस निविदा दस्तावेज में दी गई जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करनी चाहिए और जहां आवश्यक हो, उचित स्रोतों से स्वतंत्र सलाह लेनी चाहिए।

2.18.6 बैंक और उसके कर्मचारी निविदा दस्तावेज की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के संबंध में किसी कानून, संविधि, नियम या विनियमन के तहत कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं और न ही कोई दायित्व वहन करेंगे।

2.18.7 यह दस्तावेज़ और इसमें दी गई जानकारी गोपनीय है और केवल निविदाकर्ता(ओं) के उपयोग के लिए है।

2.19 अयोग्यता / समाप्ति / दंड

2.19.1 यदि कोई निविदाकर्ता, निविदाकर्ता द्वारा या उसकी ओर से, किसी भी प्रकार का प्रचार करने का प्रयास करता है या संविदाओं की जाँच, तुलना, मूल्यांकन और आवंटन के संबंध में बैंक के निर्णय के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव डालने का प्रयास करता है, तो इसे एक गंभीर अपराध माना जाएगा। ऐसी स्थिति में, निविदाकर्ता की निविदा को अस्वीकार करने

के साथ-साथ उसे न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, जिसे बढ़ाकर 3 वर्ष किया जा सकता है। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

2.19.2 किसी भी कारण से दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है, तथा इसके लिए दूसरे पक्ष को तीन महीने का लिखित नोटिस देना होगा।

2.19.3 यदि ठेकेदार द्वारा वाहनों की आपूर्ति के लिए बैंक द्वारा जारी किसी मांग का अनुपालन करने में देरी की जाती है या अनुबंध के निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है, जिसे महाप्रबंधक/उमप्र-प्रभारी, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली द्वारा दंड के लिए पर्याप्त गंभीर माना जाता है, तो उक्त महाप्रबंधक/उमप्र-प्रभारी, क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी के परामर्श से ठेकेदार पर प्रत्येक मामले के लिए 10,000 रुपये (केवल दस हजार रुपये) तक का जुर्माना लगा सकते हैं।

2.19.4 बार-बार या निरंतर विलम्ब होने की स्थिति में या ठेकेदार द्वारा इस अनुबंध के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी के अनुमोदन से महाप्रबंधक/प्रभारी उप महाप्रबंधक, निर्गम विभाग द्वारा लिखित में सूचना देकर इस अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सकता है, चाहे इस प्रकार के विलम्ब या उल्लंघन के लिए पूर्व में दिए गए अनुसार कोई जुर्माना लगाया गया हो या नहीं।

2.19.5 अनुबंध की निरंतरता मुख्यतः ठेकेदार के कार्य-निष्पादन पर निर्भर करेगी। यदि किसी भी समय कार्य-निष्पादन असंतोषजनक पाया जाता है, तो तीन महीने का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।

2.19.6 यदि ठेकेदार लगातार तीन बार से अधिक बार सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहता है, तो बैंक को किसी भी कारण से, बिना किसी सूचना के, अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्ट क्षतिपूर्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

2.20 संविधि का अनुपालन:

2.20.1 ठेकेदार को संबंधित देश और राज्य में लागू सभी प्रासंगिक कानूनों का पालन करना होगा। ठेकेदार अपनी ओर से हुई किसी भी लापरवाही के कारण होने वाले सभी प्रकार के कानूनी प्रभावों से बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा, जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

2.20.2 बोलीदाता को श्रम, कराधान, कामगार सुरक्षा, बाल एवं महिला श्रम, रोजगार आरक्षण आदि से संबंधित विभिन्न सांविधिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा। बोलीदाता को उपयुक्त प्राधिकारियों के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए, अर्थात् जीएसटी

प्राधिकारियों/आयकर/पैन/ईपीएफ/ईएसआई प्राधिकारियों/भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908/श्रम लाइसेंस आदि के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

2.20.3 ठेकेदार को संबंधित राज्यों में लागू मोटर वाहन अधिनियमों तथा विभिन्न राज्यों के नियमों के प्रावधानों का पालन करना होगा।

2.20.4 ठेकेदार को शॉप एण्ड एस्टैबलिशमेंट ऐक्ट के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए और उसके पास टूर एवं ट्रैवल सेवाएँ चलाने के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र होना चाहिए। ठेकेदार द्वारा बैंक प्रतिनिधि/पुलिस एस्कॉर्ट के साथ झूटी पर तैनात सभी कारें/यूटिलिटी वाहन वाणिज्यिक प्रकृति के होने चाहिए, अर्थात्, वे आरटीओ में वाणिज्यिक वाहन के रूप में पंजीकृत होने चाहिए। टैक्सी परमिट के दस्तावेज़ी प्रमाण मांगे जाने पर आरबीआई को उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

2.20.5 ठेकेदार अपने तैनात श्रमिकों (ड्राइवरों) को अन्य सभी सांविधिक भुगतानों के अलावा, केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार सभी लागू सांविधिक भुगतान करेगा, जो भी समय-समय पर अधिक हो, जैसे न्यूनतम मजदूरी, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी, , का भुगतान।

2.20.6 कामगारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कामगारों को ईपीएफ अधिनियम, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस और/या लाभांश और ईएसआई अधिनियम के तहत ईएसआई, जैसा भी लागू हो, दिया जाना चाहिए। ईएसआई की अनुपस्थिति में, ठेकेदार को बीमा के कवरेज के तहत दायित्व लेना चाहिए जैसे कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत कामगार मुआवजा बीमा। कुल प्रीमियम ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। ठेकेदार के पास अपने कामगारों के लिए ईपीएफ अंशदान करने के लिए एक वैध ईपीएफ खाता होना चाहिए। किसी भी वैधानिक भुगतान के गैर-अनुपालन के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में; अनुबंध को रद्द करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बिल से उसे काट लिया जाएगा। ठेकेदार को ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम के सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करना होगा।

2.20.7 ठेकेदार को सभी अभिलेखों और कानूनी दस्तावेजों को प्रचलित कानून के अनुसार अद्यतन रखना होगा और मांगे जाने पर उन्हें प्रबंधन/वैधानिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

2.20.8 ठेकेदार को बैंक के काम के लिए नियुक्त अपने कर्मचारियों के हस्ताक्षर सहित वेतन संवितरण विवरण तिमाही आधार पर सत्यापन हेतु बैंक को प्रस्तुत करना होगा। यदि भुगतान नकद में किया जाता है, तो यह बैंक अधिकारी की उपस्थिति में उसके

हस्ताक्षर सहित होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, कर्मचारियों के बैंक खाते में राशि जमा की जा सकती है और भुगतान दर्शने वाला बैंक विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है।

2.20.9 प्रधान नियोक्ता, अर्थात् बैंक, ठेका श्रमिकों/वर्कर/कर्मचारियों को कोई भी रोजगार लाभ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि प्रधान नियोक्ता के रूप में बैंक को ठेकेदार द्वारा नियोजित ठेका श्रमिकों/वर्कर/कर्मचारियों को किसी भी लागू कानून के अनुसार अपने दायित्व के निर्वहन में चूक या चूक के कारण कोई राशि भुगतान करने के लिए कहा जाता है, तो ऐसी राशि बैंक द्वारा ठेकेदार से ठेकेदार द्वारा बैंक को देय डेट के रूप में वसूल की जा सकेगी।

2.20.10 ठेकेदार, ठेके के निष्पादन हेतु उसके द्वारा नियुक्त किसी भी मजदूर या अन्य व्यक्ति द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पूर्णतः पालन कराने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के परिसर में उसके कर्मचारियों/श्रमिकों के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न की कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर, ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जाएगी और ठेकेदार उक्त शिकायत के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

2.20.11 ठेकेदार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

2.20.12 यदि घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हों तो ठेकेदार को किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होना होगा, उदाहरण के लिए, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा लैंगिक हिंसा साबित हो जाती है तो बैंक के कर्मचारी को कोई भी मौद्रिक राहत।

2.21 गैर-प्रकटीकरण खंड:

ठेकेदार, बैंक के बुनियादी ढाँचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण, जो इस अनुबंध के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्व के निर्वहन के दौरान ठेकेदार के पास या उसकी जानकारी में आए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तृतीय पक्ष को प्रकट नहीं करेगा और उसे हर समय पूर्ण गोपनीयता में रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि वह अनुबंध के तहत दायित्व को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक ही हो। ठेकेदार, बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापारिक या तकनीकी पत्र या अन्यत्र कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या प्रकट नहीं करेगा। ठेकेदार, किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन न करने

को ठेकेदार की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा। ठेकेदार इस अनुबंध के तहत गोपनीय जानकारी का प्रकटीकरण न करने के दायित्व की पूर्ण पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व, किसी भी कारण से इस अनुबंध की समाप्ति होने के बाद भी बने रहेंगे।

2.22 भ्रष्ट या कपटपूर्ण व्यवहार

बैंक यह अपेक्षा करता है कि बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध रखने में रुचि रखने वाले निविदाकर्ता, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार, अनुबंध/नियुक्ति की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करें। इस नीति के अनुसरण में, बैंक:

क) इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, नीचे दिए गए शब्दों को निषिद्ध प्रथाओं के रूप में परिभाषित किया गया है:

- (i) "भ्रष्ट आचरण": खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ के बदले में या खरीद प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन को प्रभावित करने के लिए रिश्वत, पुरस्कार या उपहार या किसी भी भौतिक लाभ की पेशकश, याचना या स्वीकृति करना;
- (ii) "कपटपूर्ण व्यवहार": कोई भी चूक या गलत बयानी जो वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या किसी दायित्व से बचने के लिए गुमराह कर सकती है या गुमराह करने का प्रयास कर सकती है। इसमें किसी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने, अनुबंध हासिल करने या अनुबंध के निष्पादन के लिए झूठी घोषणा करना या झूठी जानकारी देना शामिल है;
- (iii) "प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार": दो या दो से अधिक बोलीदाताओं के बीच, खरीदकार्ता इकाई की जानकारी के साथ या उसके बिना, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के दायरे में आने वाली कोई भी मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवस्था, या कोई अन्य व्यवहार, जो खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को ख़राब कर सकता है या कृत्रिम, गैर-प्रतिस्पर्धी स्तरों पर बोली की कीमतें स्थापित कर सकता है;
- (iv) "जबरदस्ती का व्यवहार": खरीद प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रभावित करने या अनुबंध के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना;
- (v) हितों का टकराव": बोली लगाने वाली फर्म या उसके किसी सहयोगी द्वारा भागीदारी, जो या तो उस परामर्श अनुबंध में शामिल है जिससे यह खरीद जुड़ी हुई है; या यदि वे खरीद में एक से अधिक बोलियों का हिस्सा हैं; या यदि बोली लगाने वाली फर्म या उनके कार्मिकों का खरीद करने वाली संस्था के किसी अधिकारी के साथ संबंध या वित्तीय या व्यावसायिक लेनदेन

है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निविदा या अनुबंध की निष्पादन प्रक्रिया से संबंधित है; या खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने या व्यक्तिगत लाभ के इरादे से खरीद करने वाली संस्था से (संभावित) बोलीदाता द्वारा प्राप्त जानकारी का अनुचित उपयोग; और

- (vi) "बाधक व्यवहार": जानबूझकर नष्ट करके, मिथ्याकरण करके, बदलकर; या जांच से संबंधित साक्ष्य को छिपाकर; या जांचकर्ताओं को झूठे बयान देकर और/या किसी भी पक्ष को धमकी देकर, परेशान करके या डराकर, ताकि वह जांच से संबंधित मामलों के बारे में अपनी जानकारी का खुलासा न कर सके या जांच को आगे न बढ़ा सके; या खरीद करने वाली संस्था के लेखा परीक्षा या सूचना तक पहुंच के अधिकारों को बाधित करके, ऊपर उल्लिखित निषिद्ध व्यवहारों में से एक या अधिक के आरोपों की खरीद करने वाली संस्था की जांच में भौतिक रूप से बाधा डालना।

ख) यदि यह निर्धारित होता है कि अवार्ड के लिए अनुशंसित निविदाकर्ता ने संबंधित निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय निषिद्ध प्रथाओं में संलग्न है, तो अवार्ड के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ग) यदि किसी भी समय बैंक को यह पता चलता है कि निविदाकर्ता ने अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने या अनुबंध को निष्पादित करने में निषिद्ध कार्य किया है, तो वह निविदाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए या निर्दिष्ट अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।

2.23 कामगार सुरक्षा और बीमा

- क) ठेकेदार अकेले ही तैनात कर्मचारियों (ड्राइवरों) की सुरक्षा और बीमा या जीवन बीमा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
- ख) बैंक अपने कर्तव्यों का पालन/निवर्हन/निरीक्षण या अन्यथा किसी भी जनशक्ति को हुई किसी भी घातक चोट/मृत्यु के मामले में किसी भी मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- ग) उद्धृत दरें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होंगी तथा इसमें सभी सांविधिक दायित्व शामिल होंगे।
- घ) ठेकेदार अनुबंध के तहत उपलब्ध कराए गए सभी कार्मिकों के संबंध में देय सभी प्रकार के बकायों के लिए उत्तरदायी होगा और बैंक कार्मिकों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किसी भी बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि तैनात किए जाने वाले व्यक्ति शराबी या नशेड़ी न हों और बैंक के हितों को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी गतिविधि में शामिल न हों। ठेकेदार को अपने द्वारा तैनात सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करवाना होगा और ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तैनात कर्मचारियों का नैतिक चरित्र अच्छा हो।

2.24 आवश्यक दस्तावेज़

सभी बोलीदाताओं को अपनी बोलियों के साथ निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज शामिल करने होंगे:

- क) व्यापार लाइसेंस
- ख) शॉप एण्ड एस्टेबलिशमेंट ऐक्ट के तहत पंजीकरण
- ग) संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी कंपनी/फर्म/एजेंसी के पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियां।
- घ) प्रासंगिक कार्य आदेश के साथ ग्राहक प्रतिक्रिया रिपोर्ट।
- ड) पिछले 3 वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2022-23, वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण। (किराए पर वाहनों की आपूर्ति के माध्यम से अलग से कारोबार दर्शाते हुए)
- च) पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2022-23, वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न। (किराए पर वाहनों की आपूर्ति के माध्यम से अलग से कारोबार दर्शाते हुए)।
- छ) लागू कर पंजीकरण की प्रतियां, जैसे पैन, टीआईएन, जीएसटी, आदि।
- ज) ई.पी.एफ. पंजीकरण प्रमाणपत्र और ई.एस.आई. पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियां, यदि कोई हो।
- झ) बैंक को बयाना राशि जमा (ईएमडी) के भुगतान की रसीद।
- ज) किसी भी मुकदमेबाजी के बारे में जानकारी, वर्तमान या पिछले पांच वर्षों के दौरान, जिसमें बोलीदाता शामिल है, संबंधित पक्ष, और विवादित राशि
- ट) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए समान प्रकृति और आकार की सेवाओं में कार्य आदेशों और अनुभव की प्रतियां, तथा चल रही या अनुबंधित सेवाओं का विवरण; तथा उन ग्राहकों के नाम और पते जिनसे उन अनुबंधों के बारे में आगे की

जानकारी के लिए संपर्क किया जा सकता है।

- ठ) निविदाकर्ता के बैंकरों द्वारा विशेष रूप से इस कार्य के लिए जारी किया गया सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र, जो वर्तमान कार्य की अनुमानित लागत के बराबर राशि का हो, जो निविदाकर्ता की वित्तीय सुदृढ़ता को दर्शाता हो।
- ड) भारत में किसी अनुसूचित बैंक में उनके द्वारा रखे गए बैंक खाते का विवरण।
- ढ) वाहनों की सूची, जैसे मॉडल, पंजीकरण, बीमा, खरीद की तारीख आदि, पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा, परमिट आदि की प्रतियों सहित।
- ण) उपरोक्त वर्णित या बैंक द्वारा मांगे गए अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य कोई भी दस्तावेज। उपरोक्त वर्णित या बैंक द्वारा मांगे गए अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य कोई भी दस्तावेज।

बैंक उपर्युक्त में से किसी भी या सभी विवरणों के प्रमाण/सत्यापन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.25 जांच/मूल्यांकन

निविदाएं दो भागों में होंगी, अर्थात् भाग I "कार्य का दायरा और वाणिज्यिक शर्तें" और भाग II "मूल्य बोली" ऑनलाइन बोली पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जाएंगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) निविदाकर्ताओं द्वारा दो भागों में निविदाएँ प्रस्तुत की जाएँगी। भाग I में कार्य का दायरा और वाणिज्यिक शर्तें शामिल हैं, जिन्हें ऑनलाइन बोली पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा:
- क) ₹27,040/- की अग्रिम जमा राशि एनईएफटी के माध्यम से जमा करें। इस जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अग्रिम राशि भारतीय रिझर्व बैंक के पक्ष में जारी किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक या बैंक गारंटी के रूप में भी जमा की जा सकती है।
- ख) निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकार।
- ग) निविदा के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजी साक्ष्य एवं दस्तावेज।
- घ) यह बताते हुए वचनबद्धता कि निविदाकर्ता ने किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान को जानबूझकर ऋण नहीं दिया है और कंपनी/व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है।

- ड) मास्कड इंडिकेटिव प्राइस बिड, बिना किसी मूल्य को दर्शाए, मूल्य विभाजन अनुसूची के अनुसार सभी घटकों को सूचीबद्ध करती है।
- च) कोई अन्य जानकारी जो निविदाकर्ता प्रस्तुत करना चाहता है।
- (ii) भाग-II में निविदा की **मूल्य बोली** शामिल है, जिसमें केवल भारतीय रूपये में मूल्य और अंकों व शब्दों में मूल्य का विस्तृत विवरण शामिल होगा। भाग-II में किसी अन्य संलग्नक की अनुमति नहीं है। निविदा के भाग-II में नियमों व शर्तों में कोई परिवर्तन या विचलन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अमान्य माना जाएगा। उद्धृत दरें पूर्ण कार्य के लिए मानी जाएँगी और बिना किसी वृद्धि के स्थिर और बाध्यकारी होंगी।
- (iii) निविदाओं का भाग-I निविदाकर्ताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा, जो उपस्थित रहना चाहें।
- (iv) निविदाओं की पहले जांच की जाएगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे पूर्ण हैं और निविदा दस्तावेज में निर्धारित आवश्यक एवं महत्वपूर्ण आवश्यकताओं, शर्तों आदि को पूरा करती हैं या नहीं, जो निविदाएं निविदा दस्तावेज में निर्धारित बुनियादी आवश्यकताओं, शर्तों आदि को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें अनुत्तरदायी माना जाएगा और उन्हें अनदेखा किया जाएगा।
- (v) निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रस्तुत करने से पहले कार्य/कार्यों/गतिविधियों के स्थल/स्थलों, जैसे रेलवे स्टेशन और बैंक परिसर का दौरा करें और स्थल की स्थिति से परिचित हो जाएं।
- (vi) केवल उन निविदाकर्ताओं की मूल्य बोली (भाग-II) जो निविदाओं के भाग-I की जांच के बाद पात्र पाए जाएंगे, अगले कार्य दिवस या बैंक द्वारा सूचित किसी भी भविष्य की तारीख पर खोली जाएगी।
- (vii) बैंक उस निविदाकर्ता को अनुबंध प्रदान करेगा जिसकी बोली निविदा दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों के प्रति पर्याप्त रूप से उत्तरदायी पाई गई हो तथा जिसने एल1 पर पहुंचने के लिए अनुबंध के सभी घटकों के मूल्यों पर विचार करते हुए अनुमान के अनुसार उचित बोली मूल्य की पेशकश की हो।
- (viii) निविदाओं का मूल्यांकन निविदा दस्तावेज में पहले से शामिल नियम और शर्तों, जिनके आधार पर निविदाएं प्राप्त हुई हैं और निविदाकर्ताओं द्वारा अपनी निविदाओं में उल्लिखित नियम, शर्तों आदि के आधार पर किया जाएगा निविदाओं की जांच और मूल्यांकन करते समय कोई नई शर्त नहीं जोड़ी जाएगी।
- (ix) उद्धृत दरों में से सबसे कम बोली को एल-1 माना जाएगा और उसे कार्य प्रदान किया जाएगा। हालाँकि, कार्य की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, बैंक सबसे कम बोली या किसी भी निविदा को स्वीकार न करने के लिए स्वतंत्र होगा

और निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में, बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी निविदाओं को, पूर्णतः या आंशिक रूप से, अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(x) यदि दो या अधिक निविदाकर्ता न्यूनतम दर पर हों, अर्थात् समान राशि उद्धृत करें, तो ऐसे निविदाकर्ताओं से पहले से उद्धृत राशि पर छूट सीलबंद लिफाफे में प्राप्त की जाएगी तथा उद्धृत दरों में से न्यूनतम दर को एल-1 माना जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

2.26 निविदा दस्तावेज़ में संशोधन

(i) निविदा/बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, आरबीआई किसी भी कारण से, चाहे अपनी पहल पर या किसी संभावित बोलीदाता द्वारा उठाए गए स्पष्टीकरण या प्रश्न के जवाब में, संशोधन द्वारा निविदा दस्तावेज के किसी भी भाग को संशोधित कर सकता है।

(ii) संशोधन केवल आरबीआई और एमएसटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

(iii) बोलीदाताओं को दृढ़तापूर्वक सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से www.rbi.org.in और एमएसटीसी वेबसाइट देखते रहें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें किसी भी संशोधन की जानकारी है। जारी किया गया कोई भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, अनुबंध दस्तावेज़ का हिस्सा होगा।

(iv) ऐसे संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, संभावित बोलीदाताओं को अपनी बोलियां तैयार करने के लिए उचित समय देने के लिए, आरबीआई अपने विवेकानुसार बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।

2.27 बोली की तैयारी और बोली की लागत

बोलीदाता को स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर तथा अपने खर्चे पर निविदा तैयार करने तथा अनुबंध करने के लिए आवश्यक सभी सूचनाएं प्राप्त करनी होंगी तथा कार्य स्थल का निरीक्षण (आरबीआई की पूर्व अनुमति से) करना होगा तथा सभी स्थानीय परिस्थितियों, कार्य की प्रकृति तथा उससे संबंधित सभी मामलों से स्वयं को परिचित करना होगा।

2.28 बोली पर हस्ताक्षर, पावर ऑफ अटॉर्नी

प्रत्येक निविदा दस्तावेज पर निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, ताकि वे

अनुबंध की सामान्य शर्तों, विनिर्देशों और अन्य नियमों व शर्तों आदि से परिचित हो सकें।

2.29 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोलीदाता द्वारा

वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाणन

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सार्वजनिक खरीद प्रभाग द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 2020 को जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी के माध्यम से सम्मिलित जीएफआर 2017 के नियम 144(xi) का अनुपालन, इसके अतिरिक्त जारी किए गए सार्वजनिक खरीद आदेश और उनके बाद के संशोधन अनिवार्य होंगे।

इस संबंध में, बोलीदाता को अपने लेटरहेड पर (अनुलग्नक-III) में दिए गए प्रारूप के अनुसार अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत मुहरबंद और हस्ताक्षरित वचन/घोषणा/प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत वचन/घोषणा/प्रमाणपत्र झूठा पाया जाता है, तो कार्य आदेश तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा और बयाना राशि/सुरक्षा राशि जब्त करने सहित कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है और बैंक बोलीदाता को भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से भी रोक सकता है।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त अनुदेशों तथा मानक करार की विषय-वस्तु को पढ़ और समझ लिया है तथा उसे स्वीकार करता/करती हूँ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

पता _____

सील

गवाह

1. हस्ताक्षर

नाम:

पता

2. हस्ताक्षर

नाम:

पता

खंड- III

कार्य का दायरा

3.1 यह अनुबंध 7 महीने और 15 दिन की अवधि (16 अगस्त, 2025 - 31 मार्च, 2026) के लिए है। अनुबंध का अनुमानित मूल्य ₹13.52 लाख प्रति वर्ष है।

3.2 चयनित निविदाकर्ता/निविदाकर्ता बैंक/बैंक द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर वाहन उपलब्ध कराएँगे। ठेकेदार बैंक के प्रतिनिधि/पुलिस एस्कॉर्ट के लिए पर्याप्त संख्या में कारें/यूटिलिटी वाहन उपलब्ध कराएगा, जो नए/गंदे नोटों के साथ बैंक की आवश्यकता के अनुसार ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) से युक्त टैक्सी परमिट के साथ आएंगे:

- (i) रेलवे स्टेशन / हवाई अड्डे / भारतीय रिझर्व बैंक का कोई भी निर्गम कार्यालय या कोई भी स्थान से भारतीय रिझर्व बैंक, नई दिल्ली को
- (ii) भारतीय रिझर्व बैंक, नई दिल्ली से इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत या दिल्ली एनसीआर में स्थित करेंसी चेस्ट को;
- (iii) भारतीय रिझर्व बैंक, नई दिल्ली (अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) के अधिकार क्षेत्र में स्थित करेंसी चेस्ट से भारतीय रिझर्व बैंक के किसी भी निर्गम कार्यालय को।

3.3 बैंक को उपलब्ध कराए गए सभी वाहन जीपीएस युक्त होने चाहिए, स्थानीय और पूरे भारत में यात्रा करने के लिए वैध परमिट और अन्य सभी सांविधिक अनुपालन होने चाहिए। सभी वाहन अच्छी और उचित स्थिति में होने चाहिए और उनकी साज-सज्जा साफ-सुथरी होनी चाहिए।

3.4 चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसे उसे यातायात कर्मियों द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। समय-समय पर ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण पूरी तरह से ठेकेदार की ज़िम्मेदारी होगी। तैनात चालकों के पास अच्छे ड्राइविंग रिकॉर्ड के साथ उचित अनुभव होना चाहिए, वे शिष्ट होने चाहिए और अंग्रेजी, हिंदी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषा में बातचीत करने में सक्षम होने चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें रास्ते में वाहनों की छोटी-मोटी मरम्मत करने में सक्षम होना चाहिए। चालक को बैंक के प्रतिनिधि/पुलिस एस्कॉर्ट को मांगे जाने पर मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा। चालकों को साफ वर्दी में, अपना पहचान पत्र दिखाते हुए और निर्धारित समय पर ऊटी पर उपस्थित होना होगा। उन्हें दैनिक आधार पर माइलेज का उचित रिकॉर्ड रखना होगा और उपयोगकर्ता (बैंक के प्रतिनिधि/पुलिस एस्कॉर्ट) से उसे प्रमाणित करवाना होगा। उन्हें यात्रा किए गए किलोमीटर, रिपोर्ट करने का समय, छुट्टी का समय, यात्रा शुरू और समाप्त होने पर मीटर रीडिंग आदि का पूरा विवरण अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रमाणित ऊटी स्लिप के साथ रखना होगा। इसके अलावा, उन्हें साफ-सुधरे कपड़े पहनने होंगे और हर समय विनम्र, शिष्ट और सेवाभावी रहना होगा।

3.5 ठेकेदार द्वारा नियोजित ड्राइवर/कर्मचारी बैंक के सुरक्षा अधिकारियों/गार्डों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे और आवश्यकतानुसार वाहनों/व्यक्तियों की सुरक्षा जाँच करानी होगी। ड्राइवर हमेशा उस स्थान पर उपलब्ध रहेगा जहाँ कार खड़ी है और सभी यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करेगा। ड्राइवर को हवाई अड्डे/रेलवे स्टेशन आदि पर आने वाले बैंक प्रतिनिधि/पुलिस एस्कॉर्ट के विवरण वाला एक प्लेकार्ड साथ रखना होगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक प्रतिनिधि/पुलिस एस्कॉर्ट की ओर से शिकायत की कोई गुंजाइश न रहे। ड्राइवर बैंक के अधिकृत अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करेंगे और सुरक्षा संबंधी नियमों का भी पालन करेंगे। कारों/यूटिलिटी वाहनों की बुकिंग के दौरान वाहनों को ब्रांडेड (जैसे बिसलेरी, किनले, एक्ट्राफिना, हिमालया, आदि) 500 मिलीलीटर की दो मिनरल वाटर की बोतलें, प्राथमिक उपचार बॉक्स, यूनिवर्सल मोबाइल चार्जर, छाता और अग्निशामक यंत्र प्रतिदिन उपलब्ध कराए जाएँगे। इसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा। मिनरल वाटर, फेस टिशू पेपर, प्राथमिक उपचार बॉक्स आदि जैसी वस्तुओं की लागत का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा तथा इसका वहन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।

3.6 कोविड-19 महामारी या किसी अन्य सुरक्षा उपायों के संबंध में केंद्र/राज्य सरकारों/प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

3.7 वायु प्रदूषण या किसी अन्य सुरक्षा उपायों के संबंध में राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

3.8 प्रत्येक वाहन से संबंधित सभी वैध कागजात जैसे व्यापक बीमा, पंजीकरण, रोड टैक्स, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, परमिट, वैध लाइसेंस आदि प्रत्येक वाहन/चालक के पास आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। ठेकेदार को बैंक को प्रदान किए गए वाहन के खराब होने की स्थिति में आपातकालीन परिवहन/भ्रमण सुविधा प्रदाताओं की व्यवस्था करने की क्षमता होनी चाहिए और बैंक प्राधिकारियों को प्रदान किए गए वाहन के खराब होने की स्थिति में आपातकालीन परिवहन/भ्रमण सुविधा प्रदाताओं की व्यवस्था करने वाली सरकारी/बीमा एजेंसी से भी संपर्क करने में सक्षम होना चाहिए। खराबी की स्थिति में, वैकल्पिक वाहनों की भी तुरंत व्यवस्था की जानी चाहिए।

3.9 ठेकेदार को फोन/ई-मेल पर लिखित या मौखिक निर्देशों के अनुसार, निर्धारित समय के भीतर करें/यूटिलिटी वाहन उपलब्ध कराने होंगे। ठेकेदार को बैंक से अल्प सूचना मिलने पर (जैसे कि आपात स्थिति में 30 मिनट के भीतर) करें/यूटिलिटी वाहन भी उपलब्ध कराने होंगे। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध कराई गई करें/यूटिलिटी वाहन अच्छी तरह से रखरखाव किए हुए हों, उनमें खरोंच/डेंट न हों और वे पुराने न हों। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध कराए गए वाहन पंजीकृत हों और समय-समय पर संशोधित मोटर वाहन अधिनियम का पालन करते हों। ठेकेदार अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों/चालकों के पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। ठेकेदार को बुकिंग की पुष्टि (ई-मेल/एसएमएस द्वारा) बैंक के निर्गम विभाग तथा बैंक के प्रतिनिधि/पुलिस एस्कॉर्ट को अवश्य सूचित

करनी होगी, तत्पश्चात् कार का विवरण, जैसे कार का ब्रांड, कार का पंजीकरण नंबर, चालक का नाम तथा मोबाइल नंबर, बैंक के निर्गम विभाग तथा बैंक के प्रतिनिधि/पुलिस एस्कॉर्ट को, मांग में निर्दिष्ट समय से कम से कम चार घंटे पहले ई-मेल/एसएमएस द्वारा भेजना होगा।

3.10 टोल और पार्किंग शुल्क केवल बाहरी यात्राओं के लिए मूल रसीद प्रस्तुत करने पर ही अतिरिक्त होंगे। ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्ति ठेकेदार के कर्मचारी होंगे और न तो ठेकेदार और न ही श्रमिकों को बैंक में किसी भी प्रकार की नौकरी का दावा करने का अधिकार होगा। यदि ठेकेदार स्वयं अनुरोधित कार से अधिक कीमत की कोई अन्य कार उपलब्ध कराता है, तो भुगतान बैंक द्वारा अधिग्रहीत कार के लिए स्वीकृत दरों के अनुसार किया जाएगा। ठेकेदार दिल्ली में किसी अन्य स्थान से/पर वाहन उपलब्ध कराएगा।

3.11 अनुबंध की अवधि के दौरान कार/कार/यूटिलिटी वाहन किराए पर लेने के कारण किसी तीसरे पक्ष (व्यक्ति या भवन आदि) और/या बैंक के प्रतिनिधि/पुलिस एस्कॉर्ट, बैंक की संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। बैंक, ठेकेदार के बिल या निष्पादन बैंक गारंटी से नुकसान और/या क्षति की राशि वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.12 बैंक द्वारा मांगे जाने पर रात्रि/सुबह के समय सहित कार/उपयोगिता वाहन उपलब्ध कराना ठेकेदार की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।

3.13 सेवाओं में कमी और बैंक के प्रतिनिधि, पुलिस एस्कॉर्ट या बैंक द्वारा सेवाएँ प्रदान करने के लिए निर्देशित व्यक्तियों को हुई गंभीर असुविधा के लिए, नीचे दिए गए प्रासंगिक मामले के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना लगाने के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार इस संबंध में बैंक के निर्णय को चुनौती नहीं देगा। जुर्माने की वसूली संबंधित बिल, अन्य लंबित बिलों या सिक्युरिटी डिपॉजिट से कटौती करके की जाएगी।

क) देरी से रिपोर्ट करने पर ₹2000/- का जुर्माना लगाया जाएगा।

ख) यदि बैंक द्वारा ऊटी स्लिप में समय/किमी से संबंधित गलत/बढ़ा हुआ प्रविष्टि पाया जाता है तो ₹2000/- का जुर्माना लगाया जाएगा।

ग) यदि चालक ऊटी के दौरान ईंधन भरवाने के लिए रुकता है तो उसे ₹2000/- का जुर्माना देना होगा।

घ) यदि ठेकेदार अपने वाहन के खराब होने की स्थिति में एक घंटे के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करता है, तो उसे ₹2000/- का जुर्माना देना होगा। इस संबंध में बैंक द्वारा किए गए सभी खर्चों की भरपाई ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी और यह राशि ठेकेदार के बिल से काट ली जाएगी। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा। यह मुआवजा ऊपर उल्लिखित किसी भी जुर्माने के अतिरिक्त हो सकता है। यदि कोई जुर्माना या मुआवजा हो, तो उसे संबंधित बिल, अन्य लंबित बिलों

या सिक्युरिटी डिपॉजिट से काट लिया जाएगा।

ड) यदि चालक को शराब/ड्रग्स या किसी अन्य अवैध पदार्थ के प्रभाव में पाया जाता है या रिपोर्ट किया जाता है तो ₹5000/- का जुर्माना लगाया जाएगा।

बैंक किसी भी ऐसी कमी/सेवा चूक/बैंक को हुई हानि के लिए जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जो निविदा दस्तावेज़ के भाग I में कवर हो। यदि एक ही छ्यूटी में एक से अधिक कमियां पाई जाती हैं, तो बैंक को सभी कमियों के लिए जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। इस मामले में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

3.14 विवाद की स्थिति में, क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, नई दिल्ली के समक्ष अपील की जा सकती है, जिसका निर्णय मामले में अंतिम होगा तथा दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

3.15

इस करार के अन्य प्रावधानों के अधीन, बैंक एतद्वारा ठेकेदार/ठेकेदारों के साथ 16 अगस्त, 2025 से शुरू होने वाली और 31 मार्च, 2026 तक वैध अवधि के लिए मूल्य बोली में उल्लिखित दरों के अनुसार कार/उपयोगिता वाहन किराए पर उपलब्ध कराने हेतु करार करता है, जिसे बैंक द्वारा अपनी राय में दो वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में एक वर्ष, और यह विस्तार नियम एवं शर्तों में किसी भी परिवर्तन के साथ/बिना, संविदात्मक नियमों और शर्तों के संतोषजनक निष्पादन के अधीन होगा और साथ ही यह ठेकेदार/ठेकेदारों के निष्पादन के आधार पर बैंक द्वारा किए जाने वाले वार्षिक समीक्षा के अधीन भी होगी।

3.16 ठेकेदार बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों और अतिथियों को कार/उपयोगिता वाहन उपलब्ध कराते समय कार्य के व्यापक दायरे और उपरोक्त दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए सहमत है।

खंड IV
भाग-I-तकनीकी बोली
बोली प्रपत्र

(नोट- ई-निविदा पोर्टल पर भरा जाना है)

क्रम सं.	विवरण	बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत जानकारी		
1.	निविदाकर्ता का नाम			
2.	क्या निविदाकर्ता एक कंपनी, साझेदारी फर्म या स्वामित्व वाली संस्था है			
3.	अनुबंध निष्पादित करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के नाम और पदनाम।			
4.	कंपनी/साझेदारी/फर्म/ स्वामित्व वाली संस्था का पंजीकृत पता और संपर्क पता			
5.	टेलीफोन नंबर	कार्यालय	निवास स्थान	मोबाइल
6.	ईमेल आईडी			
7.	फैक्स नंबर			
8.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में निविदाकर्ता के कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि का पता			

9.	समान कार्य करने का अनुभव (वर्षों की संख्या) (ग्राहक प्रमाणपत्र संलग्न करें)	
10.	बैंक खाते का विवरण:- बैंक का नाम, शाखा का पता खाते का प्रकार, खाता संख्या, आईएफएससी कोड	
11.	परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन)	
12.	जीएसटीआईएन	

13. उन संस्थाओं का विवरण जिनके साथ निविदाकर्ता ने समान अनुबंध किया है (इसके समर्थन में
दस्तावेज/प्रमाणपत्र संलग्न किए जा सकते हैं)

क्रम सं.	संस्था का नाम	पता और टेलीफ़ोन नंबर (प्रासंगिक दस्तावेज़ जमा करें)	अनुबंध की अवधि	संस्थाओं में किए गए कार्य का वास्तविक मूल्य

14.(क) क्या निविदाकर्ता को कभी आरबीआई या राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग द्वारा

ब्लैक लिस्ट किया गया है? - हाँ/नहीं

(यदि फर्म या उसके निदेशक/निदेशकों को आवेदन करने से रोक दिया गया है या आरबीआई द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया है या किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।)

(ख) क्या फर्म या उसके निदेशक/निदेशकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में लंबित है? - - हाँ/नहीं

यदि हाँ, तो विवरण दें (एक अलग शीट संलग्न की जा सकती है)

15. क्या अनुबंध की शर्तें निविदाकर्ता को स्वीकार्य हैं? -

- हाँ नहीं

यदि हाँ, तो इस निविदा दस्तावेज के खंड-III में दिए गए अनुबंध के नियम और शर्तों की एक प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित, निविदा के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

16. एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक या बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की गई बयाना राशि का विवरण

एनईएफटी विवरण: आईएफएस कोड - RBISONDPA01 ('0' दोनों स्थानों पर शून्य है) खाता संख्या 186003001

(Earnest money deposit received A/c)

क. राशि _____

ख. एनईएफटी/डीडी/बीजी संदर्भ संख्या _____

ग. दिनांक _____

घ. द्वारा जारी, बैंक शाखा का नाम/पता _____

17. घोषणा

क) मेरे/हमारे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं और यदि

बाद में उनमें से कोई भी गलत/गलत साबित होती है, तो बैंक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, जो वह उचित समझे।

ख) मैं/हम समझते हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत/गलत पाई जाती है तो हमारी निविदा किसी भी स्तर पर अस्वीकृत की जा सकती है और इस संबंध में आरबीआई का निर्णय अंतिम होगा।

कंपनी/साझेदारी/फर्म/स्वामित्व संस्था के अधिकृत अधिकारी का नाम:

हस्ताक्षर (कंपनी/साझेदारी/फर्म/स्वामित्व संस्था की मुहर के साथ):

तारीखः

गवाहः

1. हस्ताक्षरः

नामः

पता:

2. हस्ताक्षरः

नामः

पता:

खंड V करार की शर्तें

(सफल निविदाकर्ता के साथ दर्ज किया जाना है)

एक पक्ष के रूप में, भारतीय रिझर्व बैंक, भारतीय रिझर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत स्थापित एक निगमित निकाय, जिसे आगे चलकर "बैंक" कहा जाएगा और जिसका कार्यालय नई दिल्ली में है और जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय रिझर्व बैंक, नई दिल्ली के निर्गम विभाग के महाप्रबंधक (जिस अभिव्यक्ति में उसके/उसकी कार्यालयीन उत्तराधिकारी शामिल होंगे) द्वारा किया जाता है, तथा दूसरे पक्ष के रूप में _____ (ठेकेदार का नाम) जो मेसर्स के एकमात्र स्वामी/भागीदार/निदेशक के रूप में व्यवसाय करता है, जिसका मुख्य व्यवसाय स्थान _____ है, जिसे आगे चलकर "ठेकेदार" कहा जाएगा (जिस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी शामिल होंगे) के बीच यह करार वर्ष _____ के _____ माह के _____ दिन नई दिल्ली में संपन्न हुआ।

जबकि, ठेकेदार ने बैंक के उपयोग के लिए **16 अगस्त, 2025 से 31 मार्च, 2026** तक 7 महीने और 15 दिनों की अवधि के लिए (दोनों दिन सम्मिलित) बैंक के उपयोग के लिए ट्रेजर के प्रेषण के साथ पुलिस एस्कॉर्ट हेतु वाहन उपलब्ध कराने के लिए निविदा दी है, जो कि इसमें निर्दिष्ट दरों और शर्तों पर संलग्न अनुसूचियों के साथ पढ़ी गई है।

और चूंकि, बैंक ने ऐसी निविदा स्वीकार कर ली है और पक्षों के बीच इस करार पर हस्ताक्षर करने पर सहमति हो गई है।

अब यह पारस्परिक रूप से सहमत होते हुए निम्नानुसार घोषित किया किया जाता है:

प्रारंभ / नवीनीकरण

1. यह करार 16 अगस्त, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक (दोनों दिन सम्मिलित) 7 महीने और 15 दिनों की अवधि के लिए किया गया है।
2. दिनांक _____ की निविदा संख्या _____ के नियम और शर्तें इस करार का अभिन्न अंग मानी जाएंगी और संक्षिप्तता के लिए उन्हें यहां दोहराया नहीं गया है।
3. यह अनुबंध ठेकेदार के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन, नियम और शर्तों में किसी भी परिवर्तन के साथ/बिना बैंक के विवेकानुसार, दो वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
4. जब अनुबंध की अवधि समाप्त होने वाली हो, तो बैंक अनुबंध के विस्तार पर विचार कर सकता है। मौजूदा अनुबंध की समाप्ति से तीन महीने पहले, ठेकेदार को बैंक को लिखित रूप में यह बताना होगा कि क्या वह मौजूदा नियम और शर्तों पर अनुबंध को आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत करने के लिए तैयार है।

सिक्युरिटी डिपॉजिट / परफॉर्मेंस बैंक गारंटी

निविदाकर्ता को बैंक के पक्ष में किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ₹ 67,600/- की राशि के लिए बैंक को एक अपरिवर्तनीय परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करनी होगी।

5. परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) संपूर्ण अनुबंध अवधि के लिए अनुबंध के समुचित निष्पादन के लिए होगी, साथ ही बैंक को हुई या होने वाली किसी भी हानि या क्षति के विरुद्ध भी। यदि अनुबंध का नवीनीकरण किया जाता है, तो ठेकेदार तदनुसार विस्तारित बैंक गारंटी प्रदान करने की व्यवस्था करेगा।

ठेकेदार के कर्तव्य

6. वैधता अवधि पूरी होने तक अनुबंध को सफलतापूर्वक निष्पादित करना ठेकेदार की ज़िम्मेदारी रहेगी। यदि ठेकेदार निर्धारित कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो उसका पीबीजी रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा, ठेकेदार को अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण बैंक को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई करनी होगी, जिसके लिए बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा।

7. ठेकेदार, अनुबंध अवधि के दौरान, महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, नई दिल्ली या उनके किसी अधीनस्थ अधिकारी से इस आशय का लिखित या मौखिक अनुरोध प्राप्त होने पर, धन प्रेषण के साथ पुलिस एस्कॉर्ट हेतु पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराएगा। ऐसा अनुरोध ठेकेदार को टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल या फैक्स आदि के माध्यम से दिया जा सकता है। नोट बक्सों के परिवहन के लिए निर्धारित समय से कम से कम तीन घंटे पहले, बैंक द्वारा मौखिक या लिखित रूप से एक और नोटिस जारी करके अनुरोध सूचना को रद्द किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, बैंक ठेकेदार को पारिश्रमिक, क्षतिपूर्ति आदि के रूप में कोई भुगतान नहीं करेगा।

8. अत्यावश्यक मामलों में, बैंक के निर्गम विभाग के प्रभारी महाप्रबंधक/उमप्र द्वारा प्रमाणित, बारह घंटे के नोटिस के स्थान पर तीस मिनट के नोटिस के साथ बैंक द्वारा मांग की जा सकती है और ठेकेदार द्वारा तदनुसार इसका अनुपालन किया जाएगा।

9. इस प्रकार दिए गए नोटिस का अनुपालन किया जाएगा, भले ही इसके लिए सामान्य व्यावसायिक घंटों से परे काम करना आवश्यक हो या शनिवार और रविवार सहित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित दिन/दिनों पर या इस संबंध में लागू किसी अन्य मौजूदा क्रान्तून/प्रावधान पर काम करना आवश्यक हो।

10. ठेकेदार किसी भी परिस्थिति में बैंक प्रतिनिधियों और पुलिस एस्कॉर्ट्स के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को वाहन में यात्रा नहीं कराएगा।

11. निविदाकर्ता को आवश्यक मार्ग परमिट प्राप्त करना होगा तथा सभी प्रासंगिक करों का भुगतान स्वयं करना होगा।
12. ठेकेदार का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने ड्राइवरों को वर्दी/फोटो पहचान पत्र जारी करे।
13. ठेकेदार आगे से अनुबंध को किसी को नहीं सौंपेगा। वह बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना अनुबंध के किसी भी हिस्से को उप-किराए पर नहीं देगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, बैंक अनुबंध को रद्द कर सकता है और पीबीजी लागू कर सकता है।
14. वाहनों के किसी भी प्रकार के खराब होने की स्थिति में, ठेकेदार समान विशिष्टाओं वाली वैकल्पिक कारों/यूटिलिटी वाहनों की सेवाएँ उपलब्ध करा सकेगा ताकि कर वापसी में देरी न हो। यदि ठेकेदार ऐसी व्यवस्था करने में विफल रहता है या देरी करता है और बैंक बाज़ार से ऐसी व्यवस्था करता है, तो बैंक ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाले शुल्कों/बिलों से ठेकेदार से ऐसी व्यवस्था की लागत वसूलने का हकदार होगा।
15. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि वाहनों के पास संबंधित आरटीओ द्वारा जारी वैध अनुमति पत्र, पंजीकरण पत्र, परमिट, पीयूसी प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, अद्यतन कर भुगतान, आवश्यक बीमा कवर आदि हों। चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। ठेकेदार उक्त परमिट, लाइसेंस, प्रमाणपत्र आदि के अभाव में बैंक को हुए किसी भी नुकसान, लागत, शुल्क और व्यय के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध कराए जा रहे वाहनों के संबंध में राज्य सरकार/केंद्र सरकार के सभी निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन किया जाए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जीआरएपी मानदंडों का पालन/निर्धारित आयु के डीजल/पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध आदि शामिल हैं।
16. बैंक को किसी भी समय ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु तैनात वाहनों का निरीक्षण करने या निरीक्षण की व्यवस्था करने का अधिकार होगा और किसी भी वाहन/उपकरण को असुरक्षित घोषित कर उसे तत्काल कार्य से हटाने का आदेश दे सकता है। ठेकेदार को इसका शीघ्र/तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
17. ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले वाहन 7 वर्ष से कम पुराने होने चाहिए और सड़क पर चलने योग्य तथा अच्छी स्थिति में होने चाहिए। ये वाहन ठेकेदार के स्वामित्व में होने चाहिए या पट्टे पर लिए गए होने चाहिए। पट्टे पर लिए गए वाहनों के मामले में, अनुबंध के दौरान वाहनों का पट्टा समाप्त नहीं होना चाहिए। वाहन में पुर्जों और टूल किट का पूरा सेट उपलब्ध होना चाहिए। वाहनों का बीमा होना चाहिए, सभी कर चुकाए जाने चाहिए और उनके पास वैध परमिट होने चाहिए। वाहन उक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या नहीं, इस बारे में अंतिम निर्णय बैंक का होगा, जो ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।
18. बैंक का कार्य उचित, सावधानीपूर्वक, शीघ्रतापूर्वक और कुशलतापूर्वक किया जाना चाहिए। निविदाकर्ता

को दिल्ली पुलिस के साथ घनिष्ठ समन्वय में कार्य करना होगा।

19. ठेकेदार को सौंपे जाने वाले कार्य समय की वृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए, ठेकेदार को बैंक द्वारा निर्दिष्ट सूचना पर पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराने होंगे।

20. वाहन चालकों के पास ईंधन भरने, टोल शुल्क आदि और रास्ते में छोटी-मोटी मरम्मत (यदि आवश्यक हो) के लिए पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए। वाहन केवल पुलिस एस्कॉर्ट प्रभारी की अनुमति से ही ईंधन भरने आदि के लिए रुकेंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वाहनों में अग्निशामक यंत्र और प्राथमिक उपचार उपलब्ध हों।

21. ठेकेदार के लिए यह अनिवार्य है कि वह अनुबंध शुरू होने से पहले अपने द्वारा नियुक्त सभी ड्राइवरों के पूर्ववृत्त और चरित्र का पुलिस विभाग से सत्यापन करवाए। ड्राइवरों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों की प्रतियाँ और पूर्ववृत्त का सत्यापन बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ड्राइवरों को हर समय विनम्र, शिष्ट और सेवाभावी होना चाहिए। बैंक का कार्य करते समय ड्राइवरों को शराब और धूम्रपान नहीं करना चाहिए।

22. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि नोटों/सिक्कों का प्रेषण ले जाने वाले बंद ट्रूकों के साथ भेजा गया वाहन सभी निर्दिष्ट गंतव्यों पर ट्रूकों के साथ-साथ पहुंचे।

23. ठेकेदार बैंक की आईएस नीति के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करेगा।

भुगतान और कर

24. प्रत्येक खेप के लिए सभी प्रकार से पूर्ण बिल प्रस्तुत करने के बाद मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।
25. ठेकेदार को प्रदान की गई सेवाओं के लिए इस अनुबंध की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर शुल्क का भुगतान किया जाएगा। प्रस्तावित शुल्क निश्चित हैं और इन्हें संपूर्ण अनुबंध अवधि के लिए किसी भी आधार पर बढ़ाया नहीं जा सकता है और ठेकेदार द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
26. किसी भी स्थान के लिए बिलों के भुगतान हेतु तय की गई दूरी बैंक में उपलब्ध रिकार्ड तथा यात्रा की गई किलोमीटर की पूरी जानकारी, रिपोर्टिंग का समय, रिलीज होने का समय, यात्रा शुरू होने और समाप्त होने के समय मीटर रीडिंग आदि के साथ ऊँटी स्लिप के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
27. सेवाओं के बिल मासिक आधार पर जमा किए जा सकते हैं और अंतिम राशि को निकटतम रूपये में पूर्णांकित करके भुगतान किया जाएगा। भुगतान आयकर और स्रोत पर अधिभार की कटौती के बाद किया जाएगा, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कोई भी कर आदि, यदि कोई हो, ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। विवादित बिलों के मामले में, आपसी बातचीत/मध्यस्थता के बाद समाधान किया जाएगा।
28. अनुबंध मूल्य में सभी निश्चित और परिचालन शुल्क शामिल होंगे और यह कार्य के दायरे, आपूर्ति किए जा रहे वाहन पर आधारित होगा और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ चालक का वेतन/वर्दी/भोजन/भत्ते आदि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) भुगतान, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) भुगतान, बोनस भुगतान, ग्रेच्युटी, बीमा, लाभ और ओवरटाइम मजदूरी, यदि कोई हो, कर और लेवी, पार्किंग शुल्क, टोल गेट शुल्क और अन्य सभी शुल्क शामिल होंगे। ठेकेदार की ओर से यह अनिवार्य है कि वह अपने ठेका श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं, छंटनी मुआवजा, नोटिस वेतन, ग्रेच्युटी और देय बोनस का भुगतान करे और ठेकेदार इस संबंध में प्रचलित कानूनों द्वारा अपेक्षित ठेका श्रमिकों को सभी कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।
29. बैंक भुगतान के बाद लेखापरीक्षा या तकनीकी जांच या किसी अन्य माध्यम से भुगतान के बाद पता लगे किसी भी अधिक भुगतान की वसूली/वसूली लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
30. अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य धनराशियां, ठेकेदार को देय या देय होने वाली बकाया राशि से काट ली जाएंगी या बैंक द्वारा उचित समझे जाने पर निष्पादन बैंक गारंटी का प्रयोग किया जाएगा।
31. इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में कि क्या इसके अंतर्गत कोई दायित्व उत्पन्न हुआ है, क्षेत्रीय

निदेशक/प्रभारी कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के मुकदमों के लिए, दिल्ली न्यायालयों का विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

बीमा

32. ठेकेदार को वाहनों/तृतीय पक्ष से जुड़े सभी प्रकार के जोखिमों को कवर करने के लिए अपनी लागत पर सभी बीमा लेने होंगे। ये पॉलिसियाँ स्वीकृत अनुबंध अवधि के लिए मान्य होंगी। यदि ठेकेदार ये पॉलिसियाँ प्रदान नहीं करता है, तो आरबीआई के पास उपरोक्त बीमा पॉलिसियाँ स्वयं लेने और उनकी लागत ठेकेदार के बिल से वसूलने का अधिकार सुरक्षित है।

अयोग्यता / समाप्ति / दंडः

33. यदि कोई निविदाकर्ता, निविदाकर्ता द्वारा या उसकी ओर से, किसी भी प्रकार का प्रचार करने का प्रयास करता है या संविदाओं की जाँच, तुलना, मूल्यांकन और आवंटन के संबंध में बैंक के निर्णय के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव डालने का प्रयास करता है, तो इसे एक गंभीर अपराध माना जाएगा। ऐसी स्थिति में, निविदाकर्ता की निविदा को अस्वीकार करने के साथ-साथ उसे न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, जिसे बढ़ाकर 3 वर्ष किया जा सकता है। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

34. किसी भी कारण से दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है, तथा इसके लिए दूसरे पक्ष को तीन महीने का लिखित नोटिस देना होगा।

35. यदि ठेकेदार द्वारा वाहनों की आपूर्ति के लिए बैंक द्वारा जारी किसी मांग का अनुपालन करने में देरी की जाती है या अनुबंध के निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है, जिसे महाप्रबंधक/उमप्र-प्रभारी, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली द्वारा दंड के लिए पर्याप्त गंभीर माना जाता है, तो उक्त महाप्रबंधक/उमप्र-प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी के परामर्श से ठेकेदार पर प्रत्येक मामले के लिए 10,000 रुपये (केवल दस हजार रुपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

36. बार-बार या निरंतर देरी होने या ठेकेदार द्वारा इस अनुबंध के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी के अनुमोदन से महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी, निर्गम विभाग द्वारा लिखित में सूचना देकर इस अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सकता है, चाहे इस तरह की देरी या उल्लंघन के लिए पहले से प्रावधानित कोई जुर्माना लगाया गया हो या नहीं।

37. यदि किसी भी समय बैंक को पता चले कि ठेकेदार या उसके कर्मचारियों की चूक के कारण एस्कॉर्ट वाहनों की आपूर्ति में कमी, देरी, विफलता या अन्य दोष के कारण खजाना समय पर नहीं भेजा जा सकता/प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह मांग को रद्द कर दे और उस अवसर पर आपूर्ति किए गए सभी वाहनों को अस्वीकार कर दे तथा किसी अन्य तरीके से कार्य करवा ले, जिससे ठेकेदार को इसमें शामिल किसी भी अतिरिक्त शुल्क के लिए उत्तरदायी बनाया जा सके, चाहे उस पर कोई जुर्माना लगाया जाए या नहीं।

38. अनुबंध की निरंतरता मुख्यतः ठेकेदार के कार्य-निष्पादन पर निर्भर करेगी। यदि किसी भी समय कार्य-निष्पादन असंतोषजनक पाया जाता है, तो तीन महीने का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।

39. यदि ठेकेदार लगातार तीन से अधिक बार सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहता है, तो बैंक को किसी भी कारण से, बिना किसी नोटिस के, अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है। ऐसे मामले में ट्रांसपोर्टर को मुआवज़ा मांगने का कोई अधिकार नहीं है।

40. सेवाओं में कमी और बैंक के प्रतिनिधि, पुलिस एस्कॉर्ट या बैंक द्वारा सेवाएँ प्रदान करने के लिए निर्देशित व्यक्तियों को हुई गंभीर असुविधा के लिए, नीचे दिए गए प्रासंगिक मामले के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना लगाने के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार इस संबंध में बैंक के निर्णय को चुनौती नहीं देगा। जुर्माने की वसूली संबंधित बिल, अन्य लंबित बिलों या सिक्युरिटी डिपॉजिट से कटौती करके की जाएगी।

क) देरी से रिपोर्ट करने पर ₹2000/- का जुर्माना लगाया जाएगा।

ख) यदि बैंक द्वारा ऊँटी स्लिप में समय/किमी से संबंधित गलत/बढ़ा हुआ प्रविष्टि पाया जाता है तो ₹2000/- का जुर्माना लगाया जाएगा।

ग) यदि चालक ऊँटी के दौरान ईंधन भरवाने के लिए रुकता है तो उसे ₹2000/- का जुर्माना देना होगा।

घ) यदि ठेकेदार अपने वाहन के खराब होने की स्थिति में एक घंटे के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करता है, तो उसे ₹2000/- का जुर्माना देना होगा। इस संबंध में बैंक द्वारा किए गए सभी खर्चों की भरपाई ठेकेदार की ज़िम्मेदारी होगी और यह राशि ठेकेदार के बिल से काट ली जाएगी। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा। यह मुआवजा ऊपर उल्लिखित किसी भी जुर्माने के अतिरिक्त हो सकता है। यदि कोई जुर्माना या मुआवजा हो, तो उसे संबंधित बिल, अन्य लंबित बिलों या सिक्युरिटी डिपॉजिट से काट लिया जाएगा।

इ) यदि चालक को शराब/ड्रग्स या किसी अन्य अवैध पदार्थ के प्रभाव में पाया जाता है या रिपोर्ट किया जाता है तो ₹5000/- का जुर्माना लगाया जाएगा।

41. बैंक किसी भी ऐसी कमी/सेवा चूक/बैंक को हुई हानि के लिए जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिसका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन निविदा दस्तावेज़ के भाग। मैं वह कवर हो। यदि किसी एक शुल्क में एक से अधिक कमियाँ बताई जाती हैं, तो बैंक ऐसी सभी कमियों के लिए जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

संविधि का अनुपालन:

42. ठेकेदार को संबंधित देश और राज्य में लागू सभी प्रासंगिक कानूनों का पालन करना होगा। ठेकेदार अपनी ओर से हुई किसी भी लापरवाही के कारण होने वाले सभी प्रकार के कानूनी प्रभावों से बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा, जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

43. बोलीदाता को श्रम, कराधान, कामगार सुरक्षा, बाल एवं महिला श्रम, रोजगार आरक्षण आदि से संबंधित विभिन्न वैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा। बोलीदाता को उपयुक्त प्राधिकारियों के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए, अर्थात् जीएसटी प्राधिकारियों/आयकर/पैन/ईपीएफ/ईएसआई प्राधिकारियों/भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908/श्रम लाइसेंस आदि के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

44. ठेकेदार को संबंधित राज्यों में लागू मोटर वाहन अधिनियमों तथा विभिन्न राज्यों के नियमों के प्रावधानों का पालन करना होगा।

45. ठेकेदार को दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए और उसके पास दूर एवं ट्रैवल सेवाएँ चलाने के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र होना चाहिए। बैंक के अतिथियों/अधिकारियों के साथ काम करने के लिए ठेकेदार द्वारा तैनात सभी कारों/यूटिलिटी वाहन वाणिज्यिक प्रकृति के होने चाहिए, अर्थात्, वे आरटीओ में वाणिज्यिक वाहन के रूप में पंजीकृत होने चाहिए। कारों/यूटिलिटी वाहनों के परमिट के दस्तावेज़ी प्रमाण, माँगे जाने पर, आरबीआई को उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

46. ठेकेदार अपने तैनात श्रमिकों (ड्राइवरों) को, अन्य सभी सांविधिक भुगतानों के अलावा, केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार सभी लागू सांविधिक भुगतान करेगा, जो भी समय-समय पर अधिक हो जैसे न्यूनतम मजदूरी, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान।

47. कामगारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कामगारों को ईपीएफ अधिनियम, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस और/या लाभांश और ईएसआई

अधिनियम के तहत ईएसआई, जैसा भी लागू हो, दिया जाना चाहिए। ईएसआई की अनुपस्थिति में, ठेकेदार को बीमा के कवरेज के तहत दायित्व लेना चाहिए जैसे कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत कामगार मुआवजा बीमा। कुल प्रीमियम ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। ठेकेदार के पास अपने कामगारों के लिए ईपीएफ अंशदान करने के लिए एक वैध ईपीएफ खाता होना चाहिए। किसी भी वैधानिक भुगतान के गैर-अनुपालन के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में; अनुबंध को रद्द करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बिल से उसे काट लिया जाएगा।

48. ठेकेदार को सभी रिकार्ड और कानूनी दस्तावेजों को वर्तमान कानून के अनुसार अद्यतन रखना होगा तथा मांगे जाने पर उन्हें प्रबंधन/वैधानिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

49. ठेकेदार को बैंक के कार्य हेतु नियुक्त अपने कर्मचारियों के हस्ताक्षर सहित वेतन संवितरण विवरण, तिमाही आधार पर बैंक द्वारा सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा। यदि भुगतान नकद किया जाता है, तो यह बैंक अधिकारी की उपस्थिति में उसके हस्ताक्षर सहित होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, कर्मचारियों के बैंक खाते में राशि जमा की जा सकती है और भुगतान दर्शने वाला बैंक विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है।

50. प्रधान नियोक्ता, अर्थात् बैंक, ठेका श्रमिकों/कर्मचारियों/कर्मचारियों को कोई भी रोजगार लाभ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि प्रधान नियोक्ता के रूप में बैंक को ठेकेदार द्वारा नियोजित ठेका श्रमिकों/कर्मचारियों/कर्मचारियों को किसी भी लागू कानून के अनुसार अपने दायित्व के निर्वहन में चूक या चूक के कारण कोई राशि भुगतान करने के लिए कहा जाता है, तो ऐसी राशि बैंक द्वारा ठेकेदार से ठेकेदार द्वारा बैंक को देय ऋण के रूप में वसूल की जा सकेगी।

51. ठेकेदार, ठेके के निष्पादन हेतु उसके द्वारा नियुक्त किसी भी मजदूर या अन्य व्यक्ति द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पूर्णतः पालन कराने के लिए संपूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिसर में उसके कर्मचारियों/श्रमिकों के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न की कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर, ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जाएगी और ठेकेदार उक्त शिकायत के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

52. ठेकेदार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

53. यदि घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हों तो ठेकेदार को किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए

जिम्मेदार होना होगा, उदाहरण के लिए, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है तो बैंक के कर्मचारी को कोई भी मौद्रिक राहत।

गैर-प्रकटीकरण खंडः

54. ठेकेदार, बैंक के बुनियादी ढाँचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण, जो इस अनुबंध के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्व के निर्वहन के दौरान ठेकेदार के पास या उसकी जानकारी में आए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तृतीय पक्ष को प्रकट नहीं करेगा और उसे हर समय पूर्ण गोपनीयता में रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि यह अनुबंध के तहत दायित्व को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। ठेकेदार, बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापारिक या तकनीकी पत्र या अन्यत्र कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या प्रकट नहीं करेगा। ठेकेदार, किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन न करने को ठेकेदार की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा। ठेकेदार इस अनुबंध के तहत गोपनीय जानकारी का प्रकटीकरण न करने के दायित्व की पूर्ण पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व, किसी भी कारण से इस अनुबंध की समाप्ति या समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे।

कामगार सुरक्षा और बीमा

55. ठेकेदार अकेले ही तैनात कर्मचारियों (ड्राइवरों) की सुरक्षा और बीमा या जीवन बीमा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
56. बैंक अपने कर्तव्यों का निर्वहन/निरीक्षण या अन्यथा करते समय किसी भी जनशक्ति को हुई किसी भी घातक चोट/मृत्यु के मामले में किसी भी मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
57. उद्धृत दरें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होंगी तथा इसमें सभी वैधानिक दायित्व शामिल होंगे।
58. ठेकेदार अनुबंध के तहत उपलब्ध कराए गए सभी कार्मिकों के संबंध में देय सभी प्रकार के बकायों के लिए उत्तरदायी होगा और बैंक कार्मिकों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किसी भी बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
59. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि तैनात किए जाने वाले व्यक्ति शराबी या नशेड़ी न हों और बैंक के हितों को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी गतिविधि में शामिल न हों। ठेकेदार को अपने द्वारा तैनात सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करवाना होगा और ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तैनात कर्मचारियों का नैतिक चरित्र अच्छा हो।

विवाद समाधान

60. यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस निविदा की शर्तों और नियमों पर किसी भी/सभी विवादों के मामले में, निविदा दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा (यदि निविदा अंग्रेजी और किसी अन्य भाषा में एक साथ जारी की जाती है)।
61. यदि बैंक और ठेकेदार/प्रतिपक्ष के बीच अनुबंध या कार्यों के निष्पादन के संबंध में या उससे उत्पन्न किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो पक्षों को आपसी बातचीत के माध्यम से, सद्व्यावनापूर्वक, उस तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर सौहार्दपूर्ण ढंग से इसे हल करने का प्रयास करना चाहिए, जिस दिन कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को सौहार्दपूर्ण बातचीत/वार्ता करने के लिए नोटिस देता है।
62. यदि उपरोक्त अवधि के भीतर कोई सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं निकलता है, तो विवाद को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसार मध्यस्थता या सुलह के माध्यम से अंतिम रूप से हल किया जाएगा। मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय पक्षों पर बाध्यकारी होगा और अनुबंध पर लागू होगा।

63. क्षेत्राधिकार और शासकीय कानून: यह करार दिल्ली की अदालतों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। यह करार भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा।

समझौते का प्रारंभ और निष्पादन

64. इस करार के प्रावधान और संलग्न अनुसूचियों में दर्शाई गई दरें 16 अगस्त, 2025 से प्रभावी होंगी।

65. यह अनुबंध दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा, मूल प्रति बैंक के पास रखी जाएगी तथा दूसरी प्रति ठेकेदार के पास रहेगी।

66. दोनों संस्करणों के बीच विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को प्रामाणिक माना जाएगा और वह हिंदी संस्करण पर प्रभावी होगा।

67. करार की अवधि के दौरान अनुबंध राशि में कोई वृद्धि नहीं होगी।

68. यदि प्रौद्योगिकी और/या मौजूदा प्रथाओं में किसी भी परिवर्तन या किसी अन्य कारक के माध्यम से, इस करार के तहत ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की मात्रा या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम हो जाती है या बैंक के निर्णय के अनुसार कम करने की आवश्यकता होती है, तो बैंक को अनुसूची में दी गई दरों को बैंक द्वारा उचित समझी जाने वाली सीमा तक कम करने का अधिकार होगा।

69. निविदा सूचना में उल्लिखित सभी नियम व शर्तें इस करार का अभिन्न अंग मानी जाएंगी तथा ठेकेदार पर बाध्यकारी होंगी।

70. साक्षी के रूप में, यहां के पक्षकारों ने इस विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर आज के दिन, वर्ष....., जो कि ऊपर लिखा गया है, कर दिए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से

ठेकेदार की ओर से

महाप्रबंधक

मालिक/पार्टनर/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता निर्गम

विभाग

सील

भारतीय रिज़र्व बैंक

नई दिल्ली

स्थानः तारीखः

गवहाः

1. हस्ताक्षरः

नामः

पता:

2. हस्ताक्षरः

नामः

पता:

खंड VI-अनुलग्नक

ग्राहक का प्रमाणपत्र - ठेकेदार का कार्यनिष्पादन

क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली - 110001,
महोदय,

मेसर्स _____ के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक का प्रमाणपत्र

i.	संक्षिप्त विवरण के साथ कार्य का नाम	
ii.	एप्रीमेंट नंबर & तारीख	
iii.	अनुबंध राशि	
iv.	काम शुरू होने की तारीख	
v.	पूरा होने की निर्धारित तिथि	
vi.	पूरा होने की वास्तविक तिथि	
vii.	विलंब के लिए लगाए गए मुआवजे का विवरण (राशि इंगित करें) यदि कोई हो	
viii.	पूर्ण किए गए और भुगतान किए गए कार्य की कुल राशि	
ix.	उस प्राधिकारी का नाम और पता जिसके अधीन कार्य निष्पादित किया गया	
x.	फर्म द्वारा प्रदान किए गए वाहनों की गुणवत्ता	
xi.	फर्म द्वारा प्रदान किए गए ड्राइवर/ड्राइवरों की गुणवत्ता	
xii.	कार्य की गुणवत्ता (ग्रेडिंग इंगित करें)	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब

xiii.	कम दरों पर भुगतान किए गए कार्य की राशि, यदि कोई हो	
xiv.	क्या ठेकेदार ने मध्यस्थता का सहारा लिया?	
	i) यदि हाँ, तो कुल दावा राशि	
	ii) कुल प्रदान की गई राशि	
xv.	ठेकेदार की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ	
xvi.	क) तकनीकी दक्षता	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
	ख) वित्तीय सुदृढ़ता	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
	ग) पर्याप्त टी एंड पी जुटाना	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
	घ) मैनपावर जुटाना	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
	ड) सामान्य व्यवहार	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब

नोट: सभी कॉलम सही ढंग से भरे जाने चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली अपने हित में ग्राहक की रिपोर्ट की सत्यता का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करेगा।

रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर

नाम :-

पदनाम:-

संपर्क नं.: -

नोट: ग्राहक प्रमाणपत्र पर उन ग्राहकों/संस्थाओं/संगठनों के अधिकृत प्राधिकारियों के हस्ताक्षर और मुहर होनी चाहिए जहाँ ठेकेदार ने समान सेवाएँ प्रदान की हैं। बैंक को ग्राहक प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने या उन ग्राहकों/संस्थाओं/संगठनों से ग्राहक प्रमाणपत्र माँगने का अधिकार है जहाँ ठेकेदार ने समान सेवाएँ प्रदान की हैं।

खंड – VII शपथपत्र

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक
6, संसद मार्ग
नई दिल्ली-110001

फर्म/एजेंसी का नाम _____

निविदा का नाम _____ नियत तारीख: _____
महोदय,

- मैं/हम निविदा दस्तावेज में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
- यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने इस बोली पर हस्ताक्षर करने से पहले इसमें निहित सभी नियमों और शर्तों और निर्देशों को पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है और मैं/हम उक्त नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन देता/देती हूँ।
- मैं/हम वेतन संहिता, 2019, संविदा श्रम अधिनियम और अन्य वैधानिक प्रावधानों जैसे कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, ईएसआई अधिनियम, 1948, ग्रेचुटी, अवकाश राहत, कार्यमुक्ति शुल्क, वर्द्दी और भत्ते तथा समय-समय पर लागू होने वाले अन्य शुल्कों का पालन करता/करती हूँ/करते हूँ/करते हैं। मैं/हम तैनात कार्मिकों को वेतन संहिता, 2019 के अनुसार वेतन का भुगतान करूँगा/करेंगे, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है और किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

(बिड देने वाले का हस्ताक्षर)

बिड देने वाले का नाम और पता

टेलीफोन नंबर

अनुसूची ए
अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट

क्रम सं.	विवरण	बोलीदाता की पुष्टि
1.	विधिवत हस्ताक्षरित निविदा भाग-I (खंड I से VII) और भाग-II	
2.	विधिवत भरी गई अनुसूची ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी	
3.	भुगतान की गई ईएमडी का दस्तावेजी साक्ष्य (एनईएफटी लेनदेन/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक या बैंक गारंटी की स्कैन की गई प्रति संलग्न की जानी चाहिए)	
4.	मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र दस्तावेज़ों की प्रतियाँ जिनमें संविधान या कानूनी स्थिति, पंजीकरण का स्थान और व्यवसाय का मुख्य स्थान दर्शाया गया हो; बोली लगाने वाले को प्रतिबद्ध करने के लिए बोली के हस्ताक्षरकर्ता की लिखित पॉवर ऑफ अटार्नी, उपयुक्त व्यावसायिक लाइसेंस/पंजीकरण: क. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र ख. ख. पैन कार्ड ग. ईपीएफ, ईएसआई, श्रम लाइसेंस (यदि कोई हो) की प्रतियाँ	
5.	बैंक स्टेटमेंट/स्व-सत्यापित फोटोकॉपी पासबुक के पहले पृष्ठ की	
6.	पॉवर ऑफ अटार्नी	
7.	अनुलग्नक III	
8.	पिछले 3 वर्षों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (लाभ/हानि खाता और बी/एस) और आईटीआर	

9.	पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष समान प्रकृति और आकार की सेवाओं के लिए कार्य आदेश और ग्राहक प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ, और चल रही या अनुबंधित सेवाओं का विवरण; और उन ग्राहकों के नाम और पते जिनसे उन अनुबंधों के बारे में अधिक जानकारी के लिए संपर्क किया जा सकता है।	
10	पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष प्रदान की गई सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य।	
11	इस अनुबंध के लिए कार्यशील पूँजी की पर्याप्तता का प्रमाण (ऋण या अन्य वित्तीय संसाधन)	
12	किसी भी मुकदमेबाजी, वर्तमान या पिछले पाँच वर्षों के दौरान, जिसमें बोलीदाता शामिल है, संबंधित पक्षों, और विवादित राशि के बारे में जानकारी	
13	सेवाओं के घटकों (यदि कोई हो) के उप-अनुबंध के प्रस्ताव, जिनकी राशि अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक हो।	
14	बोलीदाता के बैंकरों से संदर्भ मांगने का अधिकार	

अनुसूची बी
संगठनात्मक विवरण

निविदाकर्ता का नाम				
चाहे व्यक्तिगत स्वामित्व, साझेदारी या सीमित कंपनी				
साझेदारी / लिमिटेड कंपनी के गठन की तिथि				
डाक का पता	स्थानीय पता		स्थायी / पंजीकृत कार्यालय का पता	
पिन कोड				
टेलीफोन नंबर (एसटीडी कोड के साथ)	कार्यालय	निवास स्थान	फैक्स	मोबाइल
ईमेल				

स्थान:

तारीख:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

अनुसूची सी
पंजीकरण विवरण

क्रम सं.	पंजीकरण का प्रकार	पंजीकरण संख्या	पंजीकरण की तिथि
1	आयकर – पैन		
2	आयकर – टैन (टीडीएस के लिए)		
3	जीएसटी नंबर		
4	शॉप एण्ड कॉमर्शिएल एस्टेबलिशमेंट ऐक्ट		
5	पीएफ/ईपीएफ		
6	किसी अन्य प्रकार का पंजीकरण		

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने उपरोक्त शर्तों को पढ़ और समझ लिया है।

स्थान:

तारीख:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

अनुसूची डी
ग्राहकों की सूची
(जिनके लिए पिछले 5 वर्षों में समान कार्य किया गया है)

क्रम सं.	विवरण	ग्राहक (1)	ग्राहक (2)	ग्राहक (3)	ग्राहक (4)	ग्राहक (5)
1.	नाम					
2.	पता					
3.	ईमेल आईडी					
4.	संपर्क नंबर					
5.	काम का संक्षिप्त विवरण					
6.	अनुबंध प्रदान करने की तिथि (कृपया अवार्ड पत्र संलग्न करें अनुबंध की संख्या)					
7.	ग्राहक से प्रमाण पत्र (अनुभाग VI के “अनुलग्नक” के अनुसार संलग्न किया जाना है)					

स्थान:

तारीख:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

अनुसूची ई बैंकर (बैंकरों) का विवरण

क्रम सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	पता	
2.	संपर्क व्यक्ति	
3.	ईमेल आईडी	
4.	टेलीफ़ोन नंबर	
5.	फैक्स नंबर	

स्थान:

तारीख:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

अनुसूची एफ

वाहन विवरण

टेबल में बैंक की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी वाहनों की जानकारी दी गई है। दस्तावेजों की एक प्रति जमा करनी होगी।

क्रम सं.	वाहन का प्रकार	वाहन का पंजीकरण संख्या	फिटनेस प्रमाणपत्र की जानकारी	पीयूसी प्रमाणपत्र की जानकारी	इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की जानकारी
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)

अनुसूची जी
सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र

(बैंक के लेटरहेड पर)

संदर्भ सं:.....

दिनांक:

जिस किसी से संबंधित हो

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी जानकारी के अनुसार, हमारे बैंक के ग्राहक मेसर्स _____ (बिड देने वाले का पूरा पता सहित नाम) एक प्रतिष्ठित फर्म है और यह _____ रुपये (रुपए____) तक के ऑर्डर पूरा करने में सक्षम है। मेसर्स _____ से अब तक हमारे बैंक के ग्राहक हैं और बैंक द्वारा दी गई विभिन्न सुविधाओं के लिए उन्हें अभी निम्नलिखित लिमिट दी गई है:

.....

.....

यह प्रमाणपत्र ग्राहक की विशेष मांग पर जारी किया गया है।

भवदीय,

(बैंक अधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर)

अनुसूची आई

ई-भुगतान के लिए एनईएफटी विवरण

संस्था का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली पूरा पता: 6 संसद
मार्ग, आरबीआई, नई दिल्ली 110001

1	खाताधारक का नाम (जैसा कि बैंक खाते में दर्ज है)	Reserve Bank of India, New Delhi
2	खाता संख्या	186003001
3	खाते का प्रकार (सेविंग्स, करंट आदि)	करंट
4	पैन नंबर	AAIFR5286M
5	बैंक का नाम	आरबीआई, नई दिल्ली
6	शाखा का नाम	आरबीआई, नई दिल्ली
7	बैंक का पता	आरबीआई, नई दिल्ली
8	एनईएफटी/आईएफएस कोड (कोड में 0 का मतलब शून्य है)	RBISONDPA01 (कोड में 0 का मतलब शून्य है)
9	खाते का नाम	RBI, NEFT, Inward Received
10	जीएसटीएन	07AAIFR5286M1ZI

अर्नेस्ट मनी जमा के विकल्प के रूप में बैंक गारंटी का प्रारूप
(इसे जारी करने वाले बैंक के नाम से खरीदे गए उचित मूल्य के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जमा करना होगा)

यह गारंटी करार _____ (बैंकर का नाम), जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ (स्थान) में है और एक स्थानीय कार्यालय _____ (स्थान) में है (जिसे आगे चलकर गारंटी देने वाला कहा जाएगा) और भारतीय रिझर्व बैंक, जो भारतीय रिझर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित एक कॉर्पोरेट संस्था है और जिसका केंद्रीय कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई-400 001, भारत में है (जिसे आगे चलकर बैंक कहा जाएगा) के बीच 2000 के माह _____ की तारीख _____ को संपन्न हुआ।

जबकि _____ ('निविदाकर्ता' का नाम आगे से निविदाकर्ता संदर्भित के रूप में), जिसका कार्यालय _____ इस पते पर है, को दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर धन के परिवहन के लिए वाहन उपलब्ध कराने संबंधी अपनी निविदा के लिए, सामान्य निर्देशों और संलग्न विशेष शर्तों के अनुसार, बैंक में 27,040/- (केवल सत्ताईस हजार चालीस रुपये) की राशि अग्रिम राशि के रूप में जमा करनी होगी।

अब यह प्रमाणित करता है

- 1) यह कि, निविदा करने वाले व्यक्ति द्वारा बैंक को दिए गए उपरोक्त निविदा के बदले में, गारंटी देने वाला व्यक्ति यह वचन देता है कि बैंक द्वारा इस गारंटी करार के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के अंदर, बिना किसी आपत्ति के, बैंक को ₹27,040/- (सत्ताईस हजार चालीस रुपये) की राशि का भुगतान कर देगा। यह राशि निविदा करने वाले व्यक्ति को अपने निविदा के संबंध में बैंक में अग्रिम राशि के तौर पर जमा करनी होती है।
- 2) यह गारंटी निविदा देने वाले व्यक्ति की किसी कमज़ोरी या अनियमितता, या बैंक, निविदा देने वाले व्यक्ति या गारंटी देने वाले के भंग होने या उनके संविधान में किसी बदलाव से प्रभावित नहीं होगी।
- 3) बैंक इस गारंटी के तहत कोई दावा कर सकता है, यदि निविदा भरने के बाद, निविदा देने वाला व्यक्ति अपने प्रस्ताव से वापस लेता है या बैंक को स्वीकार्य न होने वाले तरीके से शर्तों में बदलाव करता है, या बैंक द्वारा धन भेजने के लिए पुलिस एस्कॉर्ट के लिए वाहन उपलब्ध कराने का ऑर्डर देने के बाद भी वह ऑर्डर स्वीकार करने से मना कर सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

- 4) गारंटी की अवधि के दौरान, गारंटर बैंक की लिखित सहमति के बिना इस गारंटी को रद्द नहीं कर सकता।
- 5) उपरोक्त बातों के बावजूद, गारंटी के तहत गारंटर की देयता ₹27,040/- (केवल सत्ताईस हजार चालीस रुपये) तक ही सीमित रहेगी।
- 6) यह गारंटी _____ तब लागू और प्रभावी रहेगी और बैंक द्वारा इसके बारे में गारंटी देने वाले को सूचना दिए जाने पर यह समाप्त हो जाएगी और अमान्य हो जाएगी, जिसके बाद यह गारंटी स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
- 7) गारंटर बैंक द्वारा जारी मांग नोटिस के अनुसार भुगतान करेगा, भले ही निविदा देने वाले और बैंक या किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई विवाद हो या भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न हो।
- 8) बैंक द्वारा उक्त निविदा की किसी भी शर्त को लागू करने में कोई ढील देना, कोई कार्रवाई न करना या कोई चूक करना, किसी भी तरह से गारंटी देने वाले को छूट नहीं देगा और इस गारंटी के तहत गारंटी देने वाले की ज़िम्मेदारी केवल तभी समाप्त होगी जब बैंक द्वारा उसे इसकी सूचना दे दी जाए।
- 9) उपरोक्त बातों के बावजूद, यदि इस गारंटी के तहत कोई मांग या दावा _____ तिथि तक या इससे पहले, लिखित रूप में गारंटी देने वाले व्यक्ति को नहीं भेजा जाता है, तो गारंटी देने वाला व्यक्ति गारंटी के तहत सभी दायित्वों से मुक्त हो जाएगा।
- 10) गारंटर को अपने मेमोरेंडम और एसोसिएशन के नियमों के तहत यह गारंटी जारी करने का अधिकार है और जो व्यक्ति इस करार पर हस्ताक्षर कर रहा है, उसे गारंटर द्वारा दिए गए पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत ऐसा करने का पूरा अधिकार है।

हस्ताक्षरित और सुपुर्द किया गया

के लिए और उनकी ओर से (बैंक का नाम और मुहर)

(उपरोक्त बैंक के लिए और उसकी ओर से)

शाखा प्रबंधक

(बैंकर की मुहर)

पता _____

खंड ॥

सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए बैंक गारंटी का प्रारूप

(इसे जारी करने वाले बैंक के नाम से खरीदे गए उचित मूल्य के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर जमा करना होगा)

नं. _____ दिनांक _____

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
नई दिल्ली
महोदय,

यह ध्यान में रखते हुए कि आप काम मिलने के 10 दिनों के भीतर आपको प्रस्तुत (जिसे आगे "ठेकेदार" कहा जाएगा) सिक्योरिटी डिपॉजिट को स्वीकार करने के लिए सहमत हैं, जो कि आपके निविदा के अनुसार, धन प्रेषण के समय पुलिस एस्कॉर्ट के लिए वाहन उपलब्ध कराने संबंधी आपके दिनांक _____ की निविदा के अनुसार है, और आपके दिनांक _____ के अनुबंध की शर्तें तथा उससे संबंधित अन्य निविदा दस्तावेज़, आपसी सहमति से तय शर्तें और बदलावों के अधीन होंगे, जो आपके अनुबंध में उल्लिखित या संदर्भित हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है, हमारी ओर से गारंटी के रूप में, हम _____ (बैंक का नाम) इस प्रकार आपको वचन देते हैं और सहमत होते हैं:

1. हम आपको _____ की सीमा तक क्षतिपूर्ति देने का वचन देते हैं और समय-समय पर आपको क्षतिपूर्ति देते रहेंगे, ताकि आप किसी भी नुकसान या क्षति से सुरक्षित रहें। यह क्षति कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन या चूक के कारण आपको हुई या हो सकती है। यदि कॉन्ट्रैक्टर अनुबंध के तहत किसी कार्य को पूरा करने में या अनुबंध की शर्तों का पालन करने में चूक करता है, तो हम आपकी मांग पर तुरंत उतनी राशि का भुगतान करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर की चूक के कारण आपके नुकसान, लागत, शुल्क या खर्च के रूप में आपसे दावा की गई हो, लेकिन कुल मिलाकर यह राशि अनुबंध में तय _____ राशि से अधिक नहीं होगी।
2. इसके विपरीत कुछ भी होने पर भी, यह कि क्या ठेकेदार ने कोई चूक की है या नहीं और इसके लिए आपको कितनी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए, इस बारे में आपका निर्णय हमारे लिए बाध्यकारी होगा। हम इस गारंटी के तहत आपसे अपने दावे को साबित करने के लिए नहीं कह सकते, बल्कि आपकी मांग पर बिना किसी आपत्ति या विलंब के तुरंत भुगतान कर देंगे।

3. यह गारंटी तब तक लागू रहेगी जब तक कि संबंधित अनुबंध की गारंटी अवधि समाप्त होने के बाद, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अनुरोध करने पर आप इसे जारी नहीं करते। साथ ही, यह भी शर्त है कि कॉन्ट्रैक्टर ने संबंधित अनुबंध के तहत अपने सभी दायित्वों को पूरा कर लिया हो, काम पूरा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया हो और "कोई दावा नहीं" का प्रमाणपत्र भी दे दिया हो। इसके बावजूद, यह गारंटी _____ तारीख के बाद किसी भी स्थिति में लागू नहीं रहेगी, जिस तारीख से छह महीने के भीतर आपसे कोई दावा या मांग नहीं की गई हो या हमें लिखित रूप में कोई सूचना नहीं दी गई हो, भले ही यह दावा उस तारीख के बाद लागू किया जाए, यह हमारे खिलाफ लागू नहीं होगा।
4. यदि किसी भी कारण से इस गारंटी को बढ़ाना आवश्यक हो, तो हम आपकी मांग पर, जब तक आप चाहें, इस गारंटी की अवधि बढ़ाने का वादा करते हैं। इस संबंध में आपका निर्णय अंतिम और हमारे लिए बाध्यकारी होगा।
5. आप इस गारंटी को प्रभावित किए बिना समय-समय पर उक्त अनुबंध की शर्तों में बदलाव कर सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर के काम पूरा करने का समय बढ़ा सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ अपने किसी भी अधिकार या शक्ति को किसी भी समय या समय-समय पर स्थगित कर सकते हैं, और उक्त अनुबंध की किसी भी शर्त को लागू कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। उपरोक्त मामलों में आपकी इस छूट के इस्तेमाल से या कॉन्ट्रैक्टर को समय देने या आपकी ओर से किसी अन्य छूट, कार्य या चूक से या कॉन्ट्रैक्टर को दी गई किसी भी रियायत से या उक्त अनुबंध में किसी भी बदलाव या संशोधन से या किसी अन्य कार्य, मामले या चीज़ से, जो गारंटी से संबंधित कानून के अनुसार, इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी को खत्म कर सकता है, हम इस गारंटी के तहत अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं होंगे। इसके साथ ही, इस दस्तावेज़ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारी ज़िम्मेदारी को ऊपर बताई गई सीमा _____ से ज्यादा बढ़ा दे।
6. यह गारंटी किसी भी तरह से इस बात से प्रभावित नहीं होगी कि आप कॉन्ट्रैक्टर या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या कंपनी से कोई सिक्योरिटी लेते हैं, उसमें बदलाव करते हैं या उसे वापस करते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर का समापन, विघटन, दिवालियापन या मृत्यु होने पर।
7. इस गारंटी को पूरी तरह लागू करने के लिए, आप यह मान सकते हैं कि हम आपके मुख्य ऋणी हैं, और आप इस गारंटी के तहत हमसे संबंधित सभी दावों के लिए कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। साथ ही, हम इस गारंटी के किसी भी प्रावधान से मेल न खाने वाले अपने सभी गारंटीकर्ता के अधिकारों और अन्य अधिकारों को स्पष्ट रूप से त्यागते हैं।

8. जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमारी अधिकतम देयता की सीमा के अधीन, यह गारंटी ठेकेदार के खिलाफ आपके सभी दावों को कवर करेगी, जो समय-समय पर इस अनुबंध से संबंधित या उससे उत्पन्न होते हैं और जिनके लिए आप इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर लिखित रूप में अपना दावा हमारे पास जमा करते हैं।
9. इस नियम के तहत कोई भी नोटिस, चाहे वह मांग संबंधी हो या अन्य, विशेष कूरियर, टेलीक्स, फैक्स, ईमेल या रजिस्टर्ड पोस्ट से हमारे ऊपर दिए गए पते पर भेजा जा सकता है और यदि यह पोस्ट से भेजा जाता है, तो यह उस समय दिया हुआ माना जाएगा जब इसे पोस्ट किया गया हो।
10. यह गारंटी और इसमें दिए गए अधिकार तथा प्रावधान, हमारे द्वारा आपको पहले दी गई किसी भी अन्य गारंटी (किसी और के साथ मिलकर या अकेले) के अतिरिक्त हैं, न कि उनकी जगह या उन्हें सीमित करने के लिए। यह गारंटी किसी भी मौजूदा गारंटी को रद्द या सीमित करने के लिए नहीं है और न ही ऐसा करने का इसका कोई इरादा है।
11. यह गारंटी कॉन्ट्रैक्टर या हमारे संगठन में किसी भी बदलाव से प्रभावित नहीं होगी, न ही यह आपके संगठन में किसी बदलाव या उसके विलय या अधिग्रहण से प्रभावित होगी, बल्कि यह लाभ प्राप्त करने वाली या विलयित कंपनी या संगठन के लिए मान्य और लागू रहेगी।
12. बैंक द्वारा उक्त निविदा की किसी भी शर्त को लागू करने में कोई ढील देना, कोई कार्रवाई न करना या कोई चूक करना, किसी भी तरह से गारंटी देने वाले को छूट नहीं देगा और इस गारंटी के तहत गारंटी देने वाले की ज़िम्मेदारी केवल तभी समाप्त होगी जब बैंक द्वारा उसे इसकी सूचना दे दी जाए।
13. यह गारंटी अपनी अवधि के दौरान अमान्य नहीं की जा सकती और आपकी लिखित सहमति के बिना इसे रद्द नहीं किया जाएगा।
14. हम आगे यह भी सहमत हैं और यह वचन देते हैं कि आप लिखित रूप में जो भी राशि मांगेंगे, हम बिना किसी आपत्ति के उसका भुगतान कर देंगे, भले ही आपके और ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई मतभेद, विवाद या मत-भिन्नता क्यों न हो।
15. उपरोक्त बातों के बावजूद, इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी केवल इतनी _____ तक सीमित है। यदि इस गारंटी की समाप्ति तिथि (या उसके विस्तार की अवधि) से छह महीने के भीतर लिखित रूप

में भुगतान के लिए दावा नहीं किया जाता है, तो गारंटी के तहत आपके सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और यह माना जाएगा कि हम गारंटी के तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं, चाहे मूल गारंटी हमें वापस की गई हो या नहीं।

16. हमारे बैंक के मेमोरेंडम और एसोसिएशन के नियमों के अनुसार, हमें आपके पक्ष में यह गारंटी जारी करने का अधिकार है और नीचे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को बैंक द्वारा दिए गए पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत इस गारंटी को लागू करने का पूरा अधिकार है।

हस्ताक्षरित और सुपुर्द किया गया

(उपरोक्त बैंक के लिए और उनकी की ओर से)

के लिए और उनकी ओर से (बैंक का नाम और मोहर)

शाखा प्रबंधक

(बैंकर की मोहर)

पता _____

खंड III

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोली लगाने वाले का वचनपत्र/घोषणा/प्रमाण पत्र का प्रारूप

(बिडर्स को यह अपने लेटरहेड पर भरकर, उचित रूप से सील करके और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित करके जमा करना होगा)

सेवा में
क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
नई दिल्ली।

कार्य का नाम: धन प्रेषण के साथ पुलिस एस्कॉर्ट के लिए वाहन उपलब्ध कराना

मैं/हम _____ (बिड देने वाले व्यक्ति/फर्म का नाम और पता, जिसमें देश का नाम भी शामिल है) ने 23 जुलाई 2020 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 6/18/2019-PPD और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, सार्वजनिक खरीद प्रभाग द्वारा जारी इसके बाद के आदेशों/संशोधनों की सामग्री को पढ़ और समझ लिया है। यह आदेश/संशोधन उन देशों के बिड देने वालों से खरीद पर प्रतिबंधों से संबंधित है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं।

2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि _____ (निविदाकर्ता का नाम)
 - i. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी देश का नागरिक नहीं है, या
 - ii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का नागरिक है और वह सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है, या
 - iii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी ऐसे देश से है, जहाँ भारत सरकार ने क्रेडिट लाइन की सुविधा दी है, या
 - iv. उस देश से है जो भारत के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है, और जहाँ भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है।

(जो भी ऊपर दिए गए विकल्प लागू नहीं होते, उन्हें काट दें।)

3. मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि _____ (बिड देने वाले का नाम) इस संबंध में सभी शर्तों को पूरा करता है और उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन और उसके बाद के आदेशों/संशोधनों के प्रावधानों के तहत विचार के योग्य है। हम यह भी वचन देते हैं कि भले ही बैंक/आरबीआई हमें सब-कॉन्ट्रैक्ट करने की अनुमति देता है, फिर भी हम _____ (बिड देने वाले का नाम) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी भी देश के ठेकेदार को कोई काम सब-कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, जब तक कि वह ठेकेदार उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन /आदेश में दी गई सभी शर्तों को पूरा नहीं करता।

4. हम जानते और समझते हैं कि, यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह अंडरटेकिंग/घोषणा/प्रमाणपत्र गलत पाया जाता है, तो बैंक को हमारा निविदा/वर्क ऑर्डर अस्वीकार करने/समाप्त करने का पूरा अधिकार होगा और बैंक को कानून के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई करने का भी अधिकार होगा, जिसमें अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट/परफॉर्मेंस बैंक गारंटी/सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त करना और/या भविष्य में बैंक द्वारा जारी किए गए निविदा में हमारी भागीदारी पर रोक लगाना शामिल है।

बिड देने वाले के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, हस्ताक्षर और मुहर

दिनांक:

स्थान:



भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
नई दिल्ली

भाग- II (मूल्य बोली)

धन प्रेषण के साथ पुलिस एस्कॉर्ट के लिए वाहनों की व्यवस्था करना

भाग-II (मूल्य बोली)

धन प्रेषण के साथ पुलिस एस्कॉर्ट हेतु वाहन उपलब्ध कराना

धन प्रेषण

मद सं.	विवरण	मात्रा/ (लगभग I) / वर्ष (A)	मापन की इकाई (B)	दर रुपये में (केवल आईएआर) (B)	कुल (C=A*B)
1	चार लोगों की बैठने की क्षमता वाली एसी कारों (जैसे मारुति इको, टोयोटा अर्बन क्रूजर, मारुति ब्रेज़ा, महिंद्रा एक्सयूवी 300 आदि) का किराया शुल्क (ड्राइवर को छोड़कर) – 40 किलोमीटर और 4 घंटे तक	5	एकमुश्त		
2	चार लोगों की बैठने की क्षमता वाली एसी कारों (जैसे मारुति इको, टोयोटा अर्बन क्रूजर, मारुति ब्रेज़ा, महिंद्रा एक्सयूवी 300 आदि) का किराया शुल्क (ड्राइवर को छोड़कर) – 80 किलोमीटर और 8 घंटे तक	353	एकमुश्त		
3	चार लोगों की बैठने की क्षमता वाली एसी कारों (जैसे मारुति इको, टोयोटा अर्बन क्रूजर, मारुति ब्रेज़ा, महिंद्रा एक्सयूवी 300 आदि) का किराया शुल्क (ड्राइवर को छोड़कर) – 80 किमी से अधिक दूरी के लिए	9110	प्रति किलोमीटर		
4	बैठने की क्षमता वाली एसी कारों के लिए किराए का शुल्क (जैसे मारुति इको, टोयोटा अर्बन क्रूजर, मारुति ब्रेज़ा)	900	प्रति घंटे		

	ड्राइवर को छोड़कर चार सदस्यों के लिए महिंद्रा XUV 300 आदि – 8 घंटे से अधिक समय के लिए			
5	ड्राइवर को छोड़कर छह लोगों की बैठने की क्षमता वाली एसी कारों (जैसे मारुति इको, इनोवा, टैवेरा, टाटा सफारी स्टॉर्म, आदि) का किराया शुल्क – 40 किलोमीटर और 4 घंटे तक	5	एकमुश्त	
6	ड्राइवर को छोड़कर छह लोगों की बैठने की क्षमता वाली एसी कारों (जैसे मारुति इको, इनोवा, टैवेरा, टाटा सफारी स्टॉर्म, आदि) का किराया शुल्क – 80 किलोमीटर और 8 घंटे तक	232	एकमुश्त	
7	ड्राइवर को छोड़कर छह लोगों की बैठने की क्षमता वाली एसी कारों (जैसे मारुति इको, इनोवा, टैवेरा, टाटा सफारी स्टॉर्म, आदि) का किराया शुल्क – 80 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए	6340	प्रति किलोमीटर	
8	ड्राइवर को छोड़कर छह लोगों की बैठने की क्षमता वाली एसी कारों (जैसे मारुति इको, इनोवा, टैवेरा, टाटा सफारी स्टॉर्म, आदि) का किराया शुल्क – 8 घंटे से अधिक समय के लिए	658	प्रति घंटे	
ग्रेंड टोटल				

सबसे कम बोली लगाने वाले का मूल्यांकन:

8

$$\text{ग्रेंड टोटल} = \sum(A_i * B_i)$$

i=1

मूल्य बोली के संबंध में टिप्पणी: -

1. कोटेशन में सभी टैक्स, जीएसटी सहित शामिल होंगे।
2. प्रस्तावित दरों की वैधता निविदा के भाग-1 की खुलने की तारीख से 3 महीने की होगी।
3. दी गई दर, करार की तारीख से 7 महीने और 15 दिनों तक लागू रहेंगे।
4. समय और दूरी की गणना रिपोर्टिंग पते और समय के आधार पर की जाएगी।
5. काम की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए यह बता देना उचित होगा कि एक साल में गतिविधियों/मात्रा (कारों की संख्या) में नीचे दिए अनुसार बदलाव हो सकता है:
 - (क) मद संख्या के लिए: लगभग एक साल में 5 कारें।
 - (ख) मद संख्या 2 के लिए: लगभग 353 कारें प्रति वर्ष।
 - (ग) मद संख्या 3 के लिए: लगभग 9110 किलोमीटर प्रति वर्ष।
 - (घ) मद संख्या 4 के लिए: लगभग 900 घंटे प्रति वर्ष।
 - (ड) मद संख्या 5 के लिए: लगभग एक साल में 5 कारें।
 - (च) मद संख्या 6 के लिए: लगभग 232 कारें प्रति वर्ष।
 - (छ) मद संख्या 7 के लिए: लगभग 6340 किलोमीटर प्रति वर्ष।
 - (ज) मद संख्या 8 के लिए: लगभग 658 घंटे प्रति वर्ष।

नोट: ऊपर बताई गई गतिविधियाँ/मात्रा (कारों की संख्या)/काम का दायरा, पिछले अनुभव के आधार पर केवल अनुमानित हैं और भविष्य के कामों में भिन्न हो सकते हैं। भुगतान के लिए ऊपर बताई गई गतिविधियाँ/मात्रा/काम का दायरा आधार नहीं होंगे। भुगतान केवल वास्तव में किए गए काम के आधार पर ही किया जाएगा।

तकनीकी विवरण: चेक लिस्ट (सामान्य शब्द)

1. निविदा शर्तें: बैंक निविदा में दी गई शर्तों में किसी भी बदलाव पर विचार नहीं करेगा। घटक: केवल सहमत।
2. प्रारंभ की तिथि: कार्य आदेश में बताया गया है। घटक: केवल सहमत।
3. निविदा की वैधता: 7 महीने और 15 दिन (यानी 16 अगस्त, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक) और शर्तों में कोई बदलाव किए बिना या किए हुए दो साल के लिए इसे और बढ़ाया जा सकता है: केवल सहमत हैं।
4. उद्धृत दरों की वैधता: निविदा के भाग-1 की खुलने की तारीख से 3 महीने: केवल सहमत हैं।
5. ईएमडी जारी करना: सफल निविदा देने वाले को काम सौंपने के 10 दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-II के अनुसार) में सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए बैंक गारंटी जमा करने पर 100% ईएमडी वापस कर दिया जाएगा। असफल निविदा देने वालों को, निविदा की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद ही ईएमडी वापस किया जाएगा। घटक: केवल सहमत।
6. साइट से संबंधित आवश्यकताएं, स्थानीय निकायों से अनुमोदन (यदि कोई हो) बोली लगाने वाले को लेना होगा। घटक: केवल सहमत।
7. दरें सभी टैक्स/जीएसटी सहित होंगी। घटक: केवल सहमत।

तकनीकी शब्द

इस निविदा में बोली लगाकर बोली लगाने वाला यह पुष्टि करता है कि उसने निविदा दस्तावेज़ को पढ़ लिया है और समझ लिया है तथा वह इससे सहमत है।